लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/ 31 आषाढ़, 1946 (शक)

संख्या 8

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. शपथ

पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव महामहिम श्री गुयेन फु ट्रोंग के दु:खद निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

4. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 5 लिए गए और प्रश्न संख्या 16 को प्रश्न संख्या 1 के साथ युग्मित किया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 6 से 15 और 17 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

6*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्न काल के दौरान सकारात्मक चर्चा के लिए आग्रह किया।

मध्याह्न 12.00 बजे

7. **अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सदस्य पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 और सांख्यिकीय परिशिष्ट (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) के डिजिटल परिचालन के संबंध में घोषणा की।

अपराह्न 12.01 बजे

8. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 - सांख्यकीय परिशिष्ट

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के

---

* पूर्वाह्न 11.28 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

** मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.902(अ) जो दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कुछ जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर, 2023 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.5483(अ) जो 28 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168क के अधीन दी गई शक्तियों के प्रयोग में निर्दिष्ट अनुपालन की तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.30(अ) जो दिनांक 05 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कुछ जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर, 2023 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो 05 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.31(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) का.आ.84(अ) जो 05 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 3424(अ) को निरसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.85(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के निर्माण में लगे किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.77(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.818(अ) जो दिनांक 22 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158A की उप-धारा (2) के अधीन "आसान ऋण हेतु सार्वजनिक तकनीकी मंच" को एक प्रणाली के रूप में अधिसूचित करना है जिसके द्वारा सहमति के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा जानकारी साझा की जा सकती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ.1642(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए विनिर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्तियों के लिए ब्याज माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.1663(अ) जो दिनांक 10 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 5 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.85(अ) के कार्यान्वयन की समयसीमा को 1 अप्रैल, 2024 से बढ़ाकर 15 मई, 2024 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.246(अ) जो दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च 2024 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.296(अ) जो दिनांक 29 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 297(अ) जो दिनांक 30 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर 42वें प्रगति प्रतिवेदन,- जुलाई 2024 की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.183(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है ताकि चिकित्सा, शल्य दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर लागू बीसीडी दर को बदला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.53(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करके प्रयोग किए गए उत्प्रेरक और कीमती धातु युक्त राख पर बीसीडी को बढ़ाकर 10% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.54(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क में संशोधन करके समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) से कतिपय प्रविष्टियों में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.55(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01.02.2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क में संशोधन करके उसमें उल्लिखित टैरिफ शीर्षों के अधीन आने वाली प्रविष्टियों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाना है तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.72(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2024 को व्यपगत होने वाली छूटों की वैधता को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने के लिए 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.73(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2024 को व्यपगत होने वाली छूटों की वैधता को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.78(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.79(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्दिष्ट पुर्जों/उप-पुर्जों पर लागू बीसीडी दर को बदलने के लिए दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.115(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 का संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट फ्रोजन टर्की मांस, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, उनके प्रसंस्कृत उत्पादों और एक्सट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के आयात पर मूल सीमा शुल्क को कम किया जा सके/छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.116(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2021-सीयूएस दिनांक 01.02.2021 में संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 5201 00 25 के तहत आने वाले वस्तुओं पर एआईडीसी की छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.121(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31.10.2022 और अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 07.12.2023

में संशोधन करना है ताकि पारसेला चावल पर निर्यात शुल्क की अंतिम तिथि को हटाने और पीले मटर के आयात पर विनिर्दिष्ट शर्त निर्धारित करने के लिए कि उक्त आयात को 30.04.2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ लैडिंग के विरुद्ध अनुमति दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.158(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करना है ताकि 07.03.2024 से निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, मांस और खाद्य ऑफल, बतख, फ्रोजन के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.180(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) के भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.192(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करना है ताकि कतिपय स्मार्ट पहनने योग्य उपकरणों पर बीसीडी दरों को संशोधित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.196(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2021 में संशोधन करना है ताकि भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मॉरीशस से आयात किए जाने पर प्रशुल्क रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.206(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के अनुसार इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के आयात पर रियायती बीसीडी को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.207(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के तहत आयातित इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों पर समाज कल्याण

अधिभार (एसडबल्यूएस) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठ्ठारह) सा.का.नि.213(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.04.2022 में संशोधन करना है ताकि भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार यूएई से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात किए जाने पर प्रशुल्क रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.236(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, 1000 मीट्रिक टन से अनधिक काला नमक चावल के निर्यात पर लागू लगने वाले शुल्क पर पूरी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.244(अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, 07.12.2023 में संशोधन करना है ताकि 30.06.2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ लैडिंग के साथ पीली मटर की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.269(अ) जो दिनांक 3 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि 04.05.2024 से 31.03.2025 तक देसी चना (एचएस 0713 20 20) के आयात पर लागू आयात शुल्क की छूट दी जा सके; प्याज (एचएस 0703 10) के निर्यात पर 40% का प्रभावी निर्यात शुल्क लगाया जा सके; 31.10.2024 को या उससे पहले जारी किए गए लदान के बिल में पीले मटर (एचएस 0713 10 10) के आयात के लिए विनिर्दिष्ट शर्त या छूट का विस्तार किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.270(अ) जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 के क्रम संख्या 359क की सूची 34क और सूची 34ख में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.352(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय या रक्षा बलों या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) या अन्य पीएसयू या रक्षा बलों के लिए किसी अन्य इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट रक्षा उपकरणों और पुर्जों के आयात पर 05 साल की अवधि के लिए अर्थात् 30 जून, 2024 तक सीमा शुल्क और एकीकृत कर पूर्ण छूट का

विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 90 में विशिष्ट टैरिफ मदों में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 143 (अ) जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 25.03.2019 में संशोधन करना है ताकि डीजीटीआर की सिफारिश के अनुसरण में निर्माता का नाम 'मेसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड' से मैसर्स आईएनईओएस फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 197 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्ष के लिए चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से आयातित मुद्रित सर्किट बोर्डों (पीसीबी) पर एडीडी अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 198 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित "पैरा-तृतीयक ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)" पर 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 199 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित "एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवा) शीट फॉर सोलर मॉड्यूल" पर 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 200 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित "स्वयं चिपकने वाला विनाइल (एसएवी)"

पर 3 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 209(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के तहत अधिरोपित चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या निर्यात किए गए "कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु सड़क पहियों" के आयात पर और पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.278(अ) जो दिनांक 16 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान से आयातित "पेंट्राएरिथ्रिटोल" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.323(अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पॉली विनाइल क्लोराइड रेजिन पेस्ट के आयात पर छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 348(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपियन संघ, जापान, और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम साइनाइड" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 349(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "पूरी तरह से संयोजित स्थिति में मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण और हाइड्रोलिक रॉक बीकर(एचआरबीसी)" पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.350(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट जिसका आयाम 401 व्यास (99एमएम) और

300 व्यास (73एमएम) हो, के आसानी से खुलने वाले सिरों" पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.351(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" के आयात पर छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.171(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय(डीजीटीआर) के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित " बसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर जिनमें ट्यूब और/या रबर का फ्लैप हो (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका सांकेतिक रिम व्यास 16" से अधिक हो" के आयात पर दिनांक 24 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 01/2019/सीमाशुल्क(सीवीडी) द्वारा अधिरोपित प्रतिकारी शुल्क को 23 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.294(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 'सभी रूपों में साकारीन' पर प्रतिकारी शुल्क के उद्ग्रहण को 28 फरवरी, 2025 तक बढ़ाने के लिए 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.71(अ) जो दिनांक 25 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय अमिश्रित डीजल हेतु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 111(अ) जो दिनांक 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 112(अ) जो दिनांक 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 148(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 149(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 204(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 241(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 247(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 267(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 273(अ) जो दिनांक 15 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.300 (अ) जो दिनांक 31 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।।

(बारह) सा.का.नि. 328(अ) जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(क) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.65(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.02.2022 से 27.04.2023 तक की अवधि के लिए पहनने योग्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.66(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.02.2022 से 27.04.2023 तक की अवधि के लिए श्रवण योग्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 158 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2024 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 30 जून, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.834(अ) जो दिनांक 23 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (आकासा एयर) जिसका पंजीकृत कार्यालय 12वां तल, उर्मि एस्टेट, 95 गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र-400013 में है, को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ "नामित भारतीय वाहक" के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024 जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.145(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वन्यजीव (संरक्षण) अनुज्ञापन (विचारार्थ अतिरिक्त मामले) नियम, 2024, जो दिनांक 18 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) वन्यजीव (संव्यवहार और चर्मप्रसाधन) नियम, 2024 जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अनुसूचित नमूना (छूट की शर्तें और प्रक्रिया), नियम, 2024 जो दिनांक 23 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49एम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.943(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.944(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के हेड कांस्टेबल की पंक्ति से अनिम्न अधिकारियों को उक्त अधिनियम की अनुसूची चार में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के अधीन शक्तियों का उपयोग और कार्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) तीसरा संशोधन विनियम, 2024, जो दिनांक 3 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 1-5/2024 (डीईबी-I) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[#]9. केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.33 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.30 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा महाराष्ट्र में रेल से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

[#] अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.33 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बैराबी से गुवाहाटी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अनन्त नायक द्वारा क्योंझर में मेगा इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के विस्तार और रेलवे अंडरपास के निर्माण के बारे में।

(6) श्री रघुनंदन माधवनेनी राव द्वारा शमसाबाद हवाईअड्डे पर आप्रवासन तथा अन्य सुविधाओं के उन्नयन के बारे में।

(7) डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ. के. सुधाकर द्वारा कर्नाटक में सूखे और गिरते भूजल स्तर की समस्या के बारे में।

(9) श्री राजकुमार चाहर द्वारा आगरा में बटेश्वर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।

(10) श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल भराव की समस्या के बारे में।

(11) श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा केले को फलों की श्रेणी में शामिल किए जाने के बारे में।

(12) डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा जिलों में दिशा समितियां गठित किए जाने और संसद सदस्यों की अध्यक्षता में नियमित बैठकें आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बाढ़ रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में।

(14) श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा विभिन्न रेलवे जोनों में लोको पायलटों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा तेलंगाना में नए हवाई अड्डों के विकास के बारे में।

(16) प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुंबई के लिए स्मार्ट मीटर की उपयोगिता के बारे में।

(17) श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के बढ़ते मामलों के बारे में।

(18) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल के कोट्टायम जिले के सबरीमाला में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के बारे में।

(19) श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा केरल में तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) के कार्यान्वयन के बारे में।

(20) श्री राजीव राय द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनकरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

(21) श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गंगा नदी की गाद निकाले जाने के बारे

में।

(22) श्रीमती साजदा अहमद द्वारा उलुबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्यामपुर से बगनान रेल लाइन को पूरा किए जाने के बारे में।

(23) श्री खलीलुर रहमान द्वारा गंगा नदी के कारण हुए मिट्टी-कटाव के बारे में।

(24) श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा न्यू टाउन वानियमबडी समपार संख्या 81 पर आरओबी का निर्माण कराए जाने बारे में।

(25) श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के विकास के बारे में।

(26) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों में सारण बांध को शामिल किए जाने के बारे में।

(27) श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा मुंबई में लोकल ट्रेनों के यात्रियों की सुरक्षा के बारे में।

(28) श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गया जिले के मीठाकी महुआ में एक अलग प्रवेश और निकास बिंदु की स्वीकृति के बारे में।

(29) श्री गुरूमूर्ति मड्डीला द्वारा तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में।

(30) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम में ईएसआई मॉडल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना के बारे में।

अपराह्न 3.36 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 2 घंटा 26 मिनट

अध्यक्ष ने सभा की राय जानने के बाद आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा करने की अनुमति दी।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. डॉ. संजय जायसवाल
2. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

3. श्री किरेन रिजिजू (हस्तक्षेप किया)
4. श्री नीरज मौर्य
5. श्री आज़ाद कीर्ति झा
6. श्री डी. एम. कथीर आनंद
7. श्री गंती हरीश मधुर बालयोगी
8. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
9. श्री अभय कुमार सिन्हा
10. श्री राजीव प्रताप रूडी
11. श्री रकिबुल हुसैन
12. श्री मलविंदर सिंह कंग
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री चंदन चौहान
15. श्री नवीन जिंदल
16. श्री के. नवासखनी
17. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
18. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
19. एडवोकेट चन्द्रशेखर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 जुलाई, 2024/ 1 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 9

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(एक) अध्यक्ष ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की अध्यक्ष एवं तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय डॉ. तुलिया एक्सन और तंजानिया संयुक्त गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, का सम्मानित अतिथियों के रूप में स्वागत करने के संबंध में घोषणा की तथा सभा की ओर से उनका अभिवादन किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(दो) अध्यक्ष ने बजट दस्तावेजों की उपलब्धता और वितरण के संबंध में घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. केंद्रीय बजट - 2024-2025

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.26 बजे

3. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.27 बजे

4. सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

अपराह्न 12.27 बजे

5. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र बजट - 2024-2025

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.28 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 जुलाई, 2024/ 2 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 10

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 27 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 28 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 453 और 455 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) ने रेल मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के

अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.48(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित चार प्रत्यायित निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है।

(दो) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 52(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) परमाणु खनिज छूट (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 106(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 152(अ) जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.1359(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मेसर्स एमईसीओएन लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ.1872(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मेसर्स एनटीपीसी माईनिंग

लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 264(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40(अ) को निरस्त किया गया है।

(बारह) का.आ.2077(अ) जो दिनांक 22 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित 48.493 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में आरक्षित किया गया है।

(तेरह) का.आ.2379(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर्स और मेसर्स माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सविर्सेज लिमिटेड को प्रत्यायित निजी अंवेषण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5411(अ) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित 10277.10 हेक्टेयर (102.77 वर्ग किमी) के विस्तार तक के क्षेत्र को आरक्षित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

(दो) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (पांच) तथा (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक

प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बार में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षार्थियों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2024 जो 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी निम्न शक्ति ओर अति निम्न शक्ति शॉर्ट रेंज रेडियो आवृत्ति युक्तियों का उपयोग (अनुज्ञप्तिकरण की अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 10 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजनाएं) (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.

341(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1930(अ) जो दिनांक 7 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों, जहां तक वे खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के उसमें उल्लिखित संशोधनों से संबंधित हैं, की प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में 7 मई, 2024 को नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1355(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.2236(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.311(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

***5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

महासचिव ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण संबंधी 124वां प्रतिवेदन।

(2) गंगा नदी का संरक्षण (नमामि गंगे) संबंधी 125वां प्रतिवेदन।

(3) यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के गैर-प्रभार के कारण परिहार्य भुगतान संबंधी 126वां प्रतिवेदन।

(4) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई पर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

(5) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसओएफ परियोजना (चरण - एक) का कार्यन्वयन के संबंध में समिति के 71वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 128वां प्रतिवेदन।

(6) भारत में नागर विमानन का कार्यनिष्पादन के संबंध में समिति के 93वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

(7) प्रधान मंत्री उज्जवला योजना संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

(8) पूंजीगत राजसहायता के संवितरण के संबंध में योजना उद्देश्यों के कार्यान्वयन में विफलता के संबंध में समिति के 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी

---

* अपराह्न 1.38 बजे

टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 131वां प्रतिवेदन।

(9) भारतीय रेल में गाड़ियों का पटरी से उतरना संबंधी 132वां प्रतिवेदन।

(10) अपूर्ण पूर्व-अपेक्षित कार्यों के कारण विद्युतीकरण कार्यों का समयपूर्व बंद होनाः दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संबंधी 133वां प्रतिवेदन।

(11) परेल कार्यशाला में मध्य-जीवन पुनर्वास सुविधाओं के सृजन पर निष्फल व्ययः मध्य रेलवे संबंधी 134वां प्रतिवेदन।

(12) रेल मंत्रालय के आदेशों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप रेलवे केबल को क्षतिः दक्षिण पूर्व रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के संबंध में लोक लेखा समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिपारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 135वां प्रतिवेदन।

(13) फार्म- 'एफ' में घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान करना संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

(14) स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2020-21) के संबंध में लोक लेखा समिति के 66वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

(15) बिक्री के दमन के कारण करापवंचन संबंधी 138वां प्रतिवेदन।

(16) सुविधा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के चलाने से राजस्व का नुकसानः दक्षिण पश्चिम रेलवे संबंधी 139वां प्रतिवेदन।

(17) दिल्ली पुलिस में जनशक्ति और लॉजिस्टिक का प्रबंधन संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(18) पट्टा करार के गैर-पंजीकरण के कारण राजस्व को घाटा संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

(19) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संबंधी 142वां प्रतिवेदन।

(20) बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ पूर्वानुमान के लिए योजनाओं के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी 143वां प्रतिवेदन।

(21) भारत माला परियोजना के चरण-एक का कार्यन्यवन संबंधी 144वां प्रतिवेदन।

(22) ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए किए जा रहे उपाय संबंधी 145वां प्रतिवेदन।

(23) जीएसटी प्रतिदाय पर विषय निर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा संबंधी 146वां प्रतिवेदन।

(24) प्रविष्टि शुल्क और लाईसेंस शुल्क की कम प्राप्ति संबंधी 147वां प्रतिवेदन।

(25) पूंजीगत माल की खरीद पर आईटीसी के अतिरिक्त छूट के कारण कर और ब्याज की वसूली में कमी संबंधी 148वां प्रतिवेदन।

(26) बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी 149वां प्रतिवेदन।

(27) बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी 150वां प्रतिवेदन।

(28) आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी 151वां प्रतिवेदन।

(29) उपकर/शुल्क के लेखांकन से सम्बन्धित मुद्दे के संबंध में समिति के 69 वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 152वां प्रतिवेदन।

[#]अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 250वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 1.38 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

[#] अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.38 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(1) श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा राज्य में पाइका रेजिमेंट की स्थापना किए जाने के बारे में।

(2) श्री लुम्बा राम द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत गुलाबगंज से माउंट आबू तक सड़क निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश के नाहन में डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ. भोला सिंह द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये नई गारंटीकृत पेंशन योजना (एनजीपीएस) शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पारादीप-हैदसपुर रेल लाइन के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने के बारे में।

(7) श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा दक्षिण कन्नड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीतज्वर के प्रकोप से प्रभावित सुपारी किसानों की दुर्दशा के बारे में।

(8) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा देश में नए ट्रॉमा केयर केन्द्रों की स्थापना के बारे में।

(9) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा देहरादून और कालसी के बीच रेल लाइनों की स्वीकृति के अनुरोध के बारे में।

(10) श्री जुगल किशोर द्वारा फसलों के नुकसान के लिए किसानों को तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्रय एवं भण्डारण केन्द्रों के विकास और मक्का उद्योग की स्थापना के बारे में।

(12) श्री मनोज तिवारी द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली में जलभराव की समस्या के बारे में।

(13) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के किशनगंज में रमजान नदी की समीक्षा और सौंदर्यीकरण के बारे में।

(14) श्री के. सुधाकरन द्वारा पूरे केरल में मनुष्य और जानवरों के बीच टकराव के बारे में।

(15) श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा मेट्रो नेटवर्क का सोनीपत तक विस्तार किए जाने के बारे में।

(16) डॉ. शशि थरूर द्वारा देश में हथकरघा क्षेत्र की दुर्दशा के बारे में।

(17) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी के समुद्री तट पर पेरुम तलैवर के. कामराज की प्रतिमा के निर्माण के बारे में।

(18) श्री लालजी वर्मा द्वारा एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा और रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री नारायणदास अहिरवार द्वारा जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के बारे में।

(20) प्रो. सौगत राय द्वारा दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना के बारे में।

(21) श्री टी. एम. सेल्वागणपति द्वारा सेलम में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना के बारे में।

(22) श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों के लिए नमक विभाग की भूमि एमबीएमसी को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री आर. सचिदानन्दम द्वारा कोडाइकनाल और मुन्नार के बीच पर्यटन गलियारे की स्थापना के बारे में।

(24) श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमन संघ राज्यक्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के बारे में।

(25) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के अनुरोध के बारे में।

(26) श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रेल संबंधी विभिन्न मुद्दों के बारे में।

अपराह्न 1.39 बजे

8. (एक) बजट-2024-2025 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा; और

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें।

आबंटित समय : 20 घंटे
लिया गया समय : 6 घंटा 21 मिनट
शेष समय :13 घंटा 39 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा एक साथ की गई:-

(एक) वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा।

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की मांगे, वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मांग संख्या 1 से 36 के संबंध में।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. कुमारी सैलजा
2. श्री बिप्लब कुमार देब
3. श्री बीरेन्द्र सिंह
4. श्री अभिषेक बनर्जी
5. श्री दयानिधि मारन
6. श्री श्रीभरत मथुकुमिली
7. श्री दिनेश चंद्र यादव
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. डॉ. शशि थरूर

10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर
12. श्री लालजी वर्मा
13. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
14. श्री जगदीश शट्टर
15. श्री अनिल यशवंत देसाई
16. श्री धर्मेन्द्र यादव
17. श्री सुखदेव भगत
18. श्री अभिजीत गंगोपाध्याय

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/ 3 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 11

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 46 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 47 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय (विमान परिचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 19 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 335(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित

पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 17 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 11 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 146(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) विद्युत (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 22 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 125(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 जो दिनांक 23 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/2064/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(7) अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/4/2020-सीईआरसी जो 12 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आरई टैरिफ विनियम, 2020 की अनुप्रयोज्यता की अवधि 30 जून, 2024 तक या आयोग द्वारा अगली नियंत्रण अवधि के लिए विनियमों की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की गई है।

(8) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति की प्रदायगी के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/270/2023/सीईआरसी. में प्रकाशित हुए थे।

(9) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी. में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अधिसूचना सं. फा.सं. एफ/1/0027/2019/सीओआरडी/आवासन (समन्वय) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.753(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, निदेशक (अनुसचिवीय), भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.635(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (प्रणाली), भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.117(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (आयोजना), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.355(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.366(अ) में प्रकाशित हुए थे।

अपराह्न 12.01 बजे

4. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 24 जुलाई, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में परिवहन, पर्यावरण और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

[#]6. राजघाट समाधि समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री मनोहर लाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया-

"कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा स्वर्गीय श्री कांशीराम को भारत रत्न प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मितेश बकाभाई पटेल द्वारा आणंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बादलपुर में नदी-बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री काली चरण सिंह द्वारा चंदवा में रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के बारे में।

(4) श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा पैकमल, बरगढ़ स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय को केंद्रीय सरकार के अधीन लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजू बिष्ट द्वारा तीस्ता की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

[#] अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा देवघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा किए जाने के बारे में।

(7) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना में आईआईटी की स्थापना किए जाने के बारे में।

(8) श्री पी.पी.चौधरी द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और बिक्री के लिए कड़े विनियमों की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री खगेन मुर्मु द्वारा गंगा, फुलहर एवं कोसी नदियों की बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के बारे में।

(10) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु अवसंरचना विकास के बारे में।

(11) श्री दिलीप शइकीया द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ रोकने के लिए उचित योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री प्रवीण पटेल द्वारा मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाए जाने और ग्राम प्रधानों के भत्ते बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा केरल के अंगमाली रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री हैबी ईडन द्वारा केरल में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के अनुमोदन के बारे में।

(15) सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा एनईईटी परीक्षा के आयोजन के बारे में।

(16) श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित कम्पनियों में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मणिक्कम टैगोर द्वारा शिवकाशी में मेडिकल कॉलेज और मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के बारे में।

(18) श्री जितेंद्र दोहरे द्वारा इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों के ठहराव के प्रावधान के बारे में।

(19) श्री जिया उर रहमान संभल या मुरादाबाद में एम्स की स्थापना के बारे में।

(20) श्री जून मालिया द्वारा मेदिनीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी रेलवे अवसंरचना के प्रावधान के बारे में।

(21) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निधियां प्रदान किए जाने के बारे में।

(22) श्री के.ई. प्रकाश द्वारा इरोड में कैंसर के मामलों में वृद्धि के बारे में।

(23) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में।

(24) श्री के. नवासखनी द्वारा रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के बारे में।

(25) श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाये जाने के बारे में।

अपराह्न 1.02 बजे

8. (एक) बजट-2024-2025 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा; और

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें।

आबंटित समय : 20 घंटे
लिया गया समय : 12 घंटा 10 मिनट
शेष समय : 8 घंटा 50 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे की संयुक्त चर्चा एक साथ ली गई:-

(एक) वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा।

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की मांगे, वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मांग संख्या 1 से 36 के संबंध में।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. *श्री चरनजीत सिंह चन्नी

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

3. प्रो. सौगत राय
4. श्री बैजयंत पांडा
5. डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन
6. श्री बस्तीपति नागराजू पंचलिंगला
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
8. श्री हैबी ईडन
9. श्री सी. एम. रमेश
10. श्री राजीव राय
11. श्री अरविंद गणपत सावंत
12. श्री अरुण भारती
13. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
14. श्री राहुल कस्वां
15. श्री विवेक ठाकुर
16. श्री सुधाकर सिंह
17. श्री मलविंदर सिंह कंग

---

* सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के बाद उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

**सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के बाद उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

18. श्री मियां अल्ताफ अहमद
19. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी
20. श्री राजकुमार चाहर
21. श्री आनंद भदौरिया
22. श्री राजा राम सिंह
23. श्री चंदन चौहान
24. श्री सी. एन. अन्नादुरई
25. श्री ससिकांत सेंथिल
26. श्री एम. मल्लेश बाबू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.03 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/ 4 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 12

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और सभा की ओर से कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात, सदस्य कारगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 65 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 66 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.04 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 20242025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा संकेतक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 995 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मध्यस्थता परिषद (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मध्यस्थता परिषद (अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मध्यस्थता परिषद (लेखाओं के वार्षिक विवरण के प्ररुप और रीति) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2024, जो दिनांक 7 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए- 60011/4/2024-प्रशासन-आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विद्यावारिधि विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस(।) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर - आयुर्वेद विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस(।।) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर - भेषजी विनियम**,** 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस(।।।) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकपूर्व के लिए आयुर्वेदिक औषध और शल्यध चिकित्सा स्नातक विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस(IV) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान **(**संशोधन**)** विनियम**,** 2024, जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/18/2021-एएस. में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - स्वास्थ्यवृत्त और संबद्ध विज्ञान कार्यक्रम विनियम 2024, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (भेषजी में डिप्लोमा - आयुर्वेद) विनियम, 2024, जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.बी. में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भेषजी स्नातक-आयुर्वेद [बी. फार्म. (आयु.)] विनियम 2024, जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.ए. में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 18 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.332(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.05 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 29 जुलाई, 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 12.30 बजे

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि सभाओं की एक संयुक्त समिति जिसे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति कहा जाएगा, का गठन किया जाए जिसमें पंद्रह सदस्य होंगे, जिनमें से दस सदस्य इस सभा से तथा पांच राज्य सभा से होंगे, जिन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्येक सभा के सदस्यों में से चुना जाएगा;

कि संयुक्त समिति के कार्य निम्न होंगे:

(एक) सभी विद्यमान 'समितियों' (संयुक्त समिति द्वारा जांची गई समितियों को छोड़कर जिन्हें संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 भेजा गया था) तथा इसके पश्चात गठित की जाने वाली उन सभी 'समितियों' की रचना तथा स्वरूप की जांच करना जिसकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्ह हो सकता है;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई 'समितियों' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए तथा किन पदों के कारण नहीं; और

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना तथा उक्त अनुसूची में किसी भी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

कि संयुक्त समिति समय-समय पर संसद की दोनों सभाओं को उपरोक्त सभी या किसी भी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई सदस्यों का होना आवश्यक है;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

7. अवंतिपुरा, बठिंडा, भोपाल, कल्याणी, नागपुर, नई दिल्ली, रायबरेली, रेवाड़ी और राजकोट स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अवंतिपुरा, बठिंडा, भोपाल, कल्याणी, नागपुर, नई दिल्ली, रायबरेली, रेवाड़ी और राजकोट स्थित नौ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में से प्रत्येक के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

8. सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के लिए लोक सभा की दो महिला सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया-

"कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन

सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

9. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी के लिए लोक सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

"कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

10. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।'

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

11. राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

"कि एनआईपीईआर (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 30क की उप-धारा (2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन एनआईपीईआर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।'

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.42 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री रवीन्द्र शुक्ला *उर्फ* रवि किशन द्वारा टाटा नगर-थावे एक्सप्रेस को गोरखपुर छावनी तक बढ़ाए जाने के बारे में।

(2) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कारखाने स्थापित किए जाने के बारे में।

(3) श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नागर हवेली में स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विजय कुमार दूबे द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं पुनः प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क बंदरगाह स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा एनएच-18 (धनबाद-बालासोर) पर सर्विस रोड, ओवर ब्रिज और अंडरपास के निर्माण के बारे में।

(7) श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड में बांग्लादेशियों की कथित घुसपैठ के बारे में।

(8) डॉ. संबित पात्रा द्वारा जगन्नाथ धाम पुरी में स्ट्रीट वेंडरों को सुसज्जित चल-कियोस्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा ग्राम स्वच्छता कार्यों को मनरेगा में शामिल किए जाने के बारे में।

(10) श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में पेयजल की कमी के बारे में।

(11) डॉ. किरसान नामदेव द्वारा गढ़चिरौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किए जाने के बारे में।

(12) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा मुल्लापेरियार बांध के बदले एक नये बांध के निर्माण के बारे में।

(13) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा कासरगोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत बकाया मजदूरी के वितरण के बारे में।

(14) श्री राहुल कस्वां द्वारा नीट और नेट परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में।

(15) श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंडरपास/रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा चेरन एक्सप्रेस को पोलाची तक बढ़ाए जाने के बारे में।

(17) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुवन्नामलाई में हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के बारे में।

(19) श्री रामप्रीत मंडल द्वारा मधुबनी जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में।

(20) श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल में कपास प्रसंस्करण इकाई एवं उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में।

(21) श्री अमरा राम द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बारे में।

(22) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए जाने के बारे में।

(23) एडवोकेट चन्द्रशेखर द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में।

अपराह्न 12.42 बजे

13. (एक) बजट-2024-2025 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा; और

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें।

आबंटित समय : 20 घंटे
लिया गया समय : 15 घंटा 01 मिनट
शेष समय : 04 घंटा 59 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे की संयुक्त चर्चा एक साथ ली गई:-

(एक) वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा।

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की मांगे, वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मांग संख्या 1 से 36 के संबंध में।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जुगल किशोर
2. श्री जय प्रकाश (जेपी)
3. *श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
4. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

* पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

5. श्री दुरई वाइको
6. श्री वी. वैथिलिंगम
7. सुश्री कंगना रनौत
8. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
9. श्री हनुमान बेनीवाल
10. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
11. डॉ. धर्मवीर गांधी
12. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
13. श्री विष्णु दयाल राम
14. श्री बलवंत बसवंत वानखडे
15. श्री छोटेलाल
16. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
17. श्री सौमित्र खान

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.33 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1. श्री सी. एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 3 का संशोधन)
2. श्री सी. एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुसूची का संशोधन)
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विनियमन और विकास आयोग विधेयक, 2024
4. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का कलाकार (सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2024
5. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का परंपरागत मछुआरे (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024
6. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
7. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का हरित क्षेत्र अवसंरचना विकास बोर्ड विधेयक, 2024
8. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद

48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)

9. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला विकास और निगरानी समिति विधेयक, 2024
10. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनन्तपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2024
11. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (नई धाराओं 8क और 13क का अंतःस्थापन)
12. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 43क का संशोधन)
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नए अनुच्छेद 49क का अंतःस्थापन)
14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का रेबीज़ नियंत्रण विधेयक, 2024
15. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 81 का संशोधन)
16. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य का रिहायशी स्कूल (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) विधेयक, 2024
17. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य का निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2024
18. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2024
19. श्री शफी परम्बिल, संसद सदस्य का विमान-किराया विनियामक बोर्ड विधेयक, 2024
20. श्री शफी परम्बिल, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (विस्तृत शीर्षक का संशोधन, आदि)
21. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
22. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का अनाथ बच्चे (कल्याण और विकास) विधेयक, 2024
23. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
24. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
25. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2024
26. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का बिहार राज्य को विशेष आर्थिक सहायता विधेयक, 2024

27. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2024
28. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का भारी वर्षा, चक्रवातों और अन्य कारणों से आने वाली बाढ़ के पीड़ित (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2024
29. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
30. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य का तर्कसंगत विचार संवर्धन विधेयक, 2024
31. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (पहचान और उपचार) विधेयक, 2024

अपराह्न 4.01 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प - विचाराधीन

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:-

"माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं श्री शफी परम्बिल जी को **"**देश में हवाई किराये के विनियमन हेतु समुचित उपाय**"** संबंधी उनके गैर-सरकारी सदस्य संकल्प को पेश करने के लिए पुकारूं**,** इस संकल्प पर चर्चा करने के लिए सभा द्वारा समय का आबंटन किया जाना है। यदि सभा सहमत हो, तो दो घंटे का समय आबंटित कर दिया जाए।"

तत्पश्चात्**,** श्री शफी परम्बिल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया**-**

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि**:-**

(क) वर्ष 1994 में हवाई किराये के विनियमन से पहले**,** हवाई किराये को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हवाई किराये को पूर्ण रूप से विनियमित किया जाता था**;**

(ख) मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ**,** एयरलाइनें वायुयान नियम**,** 1937 के नियम 135 के उप**-**नियम **(**1) के उपबंधों के अंतर्गत समुचित प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं**;**

(ग) यद्यपि वायुयान नियम**,** 1937 का नियम 135(4) नागरिक विमानन महानिदेशालय **(**डीजीसीए**)** को यह अधिकार देता है कि यदि किसी एयरलाइन ने नियम 135(1) के अंतर्गत अत्यधिक प्रशुल्क निर्धारित किया है या अल्पाधिकारवादी व्यवहार में

लिप्त है तो वह ऐसी एयरलाइन को निर्देश जारी कर सकता है; किंतु उक्त प्रावधान नियम 135(1) के अंतर्गत एयरलाइनों को प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए दी गई मनमानी और बेलगाम शक्तियों के कारण निष्प्रभावी हो जाता है;

(घ) विनियमन-मुक्ति की नीति अपनाए जाने के बाद से, बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर हवाई किराये में काफी वृद्धि हुई है;

(ङ) हाल के वर्षों में, विशेष रूप से छुट्टियों के मौसम के दौरान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराये में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों सहित बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं;

(च) खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश प्रवासी श्रमिक अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक हैं, जिनकी आय सीमित है, छुट्टियों के मौसम में हवाई किराये में बेतहाशा वृद्धि उन्हें हमेशा भारी कर्ज के जाल में फसा देती है;

(छ) प्रवासियों के मामले में, अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को केवल छुट्टियों के मौसम के दौरान ही छुट्टी मिलती है इसलिए परिवार के साथ एकजुट होने का भावनात्मक मूल्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रायः उन्हें अपनी एक वर्ष की बचत केवल जाने-आने के हवाई किराये के लिए ही चुकानी पड़ती है और कई प्रवासियों को टिकट पाने के लिए भी भारी कर्ज लेना पड़ता है;

(ज) चूंकि एयरलाइंस पीक सीजन के दौरान पूरी यात्री-क्षमता से उड़ान भरती हैं और भारी मुनाफा कमाती हैं, इसलिए 'अविनियमित मूल्य वृद्धि' की वर्तमान नीति अनैतिक, अनुचित और विदेश में रहने वाले गरीब प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्याय है;

(झ) यद्यपि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'प्रशुल्क निगरानी इकाईयां' बनाई हैं, लेकिन ये केवल यह सुनिश्चित करती हैं कि एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले किराये उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित एयरलाइनों के निर्धारित प्रशुल्क सीमा में हों;

(ञ) विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, विकास और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को नियंत्रण-मुक्त करने की आवश्यकता है, सरकार उद्योग के प्रमुख हितधारकों यथा यात्रियों की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती; और

(ट) स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति की यह टिप्पणी थी कि वर्तमान एयरलाइन निगरानी व्यवस्था के स्व-विनियमन तंत्र एक ओर यात्रियों के वित्तीय बोझ और दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियों के प्रशुल्क ढांचे को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं।

यह सभा सरकार से आग्रह करती है, कि वह -

(i) हवाई किराये को इस तरह विनियमित करने के लिए, कि किसी विशिष्ट मार्ग पर एयरलाइन द्वारा तय किए जाने वाले अधिकतम किराये की एक उचित ऊपरी सीमा हो, समुचित उपाय करे;

(ii) छुट्टियों के मौसम में अत्यधिक हवाई किराये के मुद्दे पर तत्काल चर्चा करने के लिए एयरलाइन संचालकों, जन-प्रतिनिधियों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाए; तथा

(iii) हवाई किराये को नैतिक और न्यायसंगत तरीके से विनियमित और इसकी निगरानी करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना करे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री दुष्यंत सिंह
2. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
3. डॉ. निशिकान्त दुबे
4. श्री गुरजीत सिंह औजला
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
7. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
8. श्री राम शिरोमणि वर्मा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 29 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 जुलाई, 2024/ 7 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 13

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. * अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सुश्री मनु भाकर को 28 जुलाई, 2024 को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला एयर पिस्टल शूटर बनीं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के अन्य खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दीं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1064 तथा 1066-1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहंग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहंग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नामग्याल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नामग्याल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) गदेन राब्येल्लिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गदेन राब्येल्लिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्ट्री, तवांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्ट्री, तवांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.396(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.399(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.388(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.376(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.377(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 903(अ) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.378(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक के कुल टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वित्त वर्ष में वार्षिक विवरणी दायर करने से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.379(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 900(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.397(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.400(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.389(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.380(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 901(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.398(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.401(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.390(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.394(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए सेज इकाई या डेवलपर द्वारा आयातों पर उदग्राह्य प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.395(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिशों को प्रभावशील करने के लिए अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.426(अ) जो 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 261(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 तथा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.234(अ) जो 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के विलय के पश्चात् अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के संशोधन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.381(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 940(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/167 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और जालसाजी का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/187 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/186 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 25 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/184 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/181 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुन: क्रय) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/180 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/179 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/176 जो दिनांक 10 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि किसी वैकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक के प्रमुख निवेश दल में कार्यरत सहयोगी व्यक्तियों में से एक मुख्य कार्मिक राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा जारी दिनांक 10 जनवरी, 2024 की विज्ञप्ति संख्या एनआईएसएम/प्रमाणन/श्रृंखला-XIX-C: वैकल्पिक निवेश खंड प्रबंधक/2024/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम श्रृंखला-XIX-C: वैकल्पिक निवेश खंड प्रबंधक प्रमाणन परीक्षा को उत्तीर्ण करके राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से प्रमाणन प्राप्त करेगा।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शोध विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/170 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/169 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/185 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/174 में प्रकाशित हुए थे।

(7) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/174 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/171 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/173 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1003(अ) जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.3743(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2470(अ) जो 26 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1002 (अ) और दिनांक 27 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3068 (अ) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए प्रकाशित हुआ था जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परामर्श से, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (खग) के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में, उसमें विनिर्दिष्ट माल को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचओ:एचआरओपीएस:116:1540(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआरएम/बीएम/पेंशन/2024-25/31-(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरडब्ल्यू:आईआरएस228ए: पीएस:1065:2024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 9 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएसबी/पीईएन/एएमईएनडी/1/2024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचओ:पेंशन/एमआईएससी/2024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 2 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एचओपीएसडी/पेंशन/2024-25/50-(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 8 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.372(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि, मुंबई के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीयन और विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीयन और विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.406(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करना तथा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 6000 रूपये/एमटी से 7000 रूपये/एमटी तक बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) केंद्रीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि.387(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 9 जून, 2020 की अधिसूचना सं. 14/2020-सीमाशुल्क (एलईडी) को संशोधित करना तथा डीजीटीआर अनुशंसा के अनुसरण में, उत्पादक का नाम ''शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड'' से परिवर्तित करके ''शैल सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड'' करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत माल और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधी नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सा.का.नि.402(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर प्राधिकृत ग्राहकों को इकाई संचालित कैंटिनों द्वारा 2202 शीर्ष के अंतर्गत आपूर्तियों पर प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम**,** 1948 की धारा **36** के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम**,** नई दिल्ली के वर्ष **2024-2025** के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति **(**हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(2) उपर्युक्त **(1)** में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम**,** 2024 जो 30 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम**,** 2024 जो 14 मार्च**,** 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.201(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) पर्यावरण **(**संरक्षण**)** अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं**.** का.आ**.** 2215**(**अ**)** जो दिनांक 7 जून**,** 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर**,** 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533**(**अ**)** में कतिपय संशोधन किए गए हैं**,** की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(4) उपर्युक्त **(3)** में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 2409**(**अ**)** जो दिनांक 21 जून**,** 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जून**,** 2024 की अधिसूचना सं. का.आ. 2340**(**अ**)** में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.75(अ) में प्रकाशित हुए थे।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे**) ने** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) (एक) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय सोसायटी, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय सोसायटी, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पाँच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) **ने** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 की धारा 33 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, ऑरोविले प्रतिष्ठान, उप सचिव, भर्ती नियम, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.324(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक)) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-ण्क प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, पश्चिम गोदावरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, पश्चिम गोदावरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक)) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक)) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक)) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) निधि (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (अधिनिगम) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट कर्जदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी107 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट कर्जदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी108 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी109 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी110 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक अभिकरणों की आदर्श उप-विधियां तथा शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी111 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 12 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी112 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी113 में प्रकाशित हुए थे।

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1130(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के प्रयोजनार्थ, थोक मूल्य सूचकांक और रूपये की विनिमय दर के आधार पर, आस्तियों का मूल्य और टर्नओवर का मूल्य 150 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

(दो) का.आ.1131(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों से उसमें उल्लिखित उद्यमों को छूट प्रदान करना है तथा साथ-ही-साथ उन आस्तियों का मूल्य अधिसूचित करना है जहां किसी उद्यम या प्रभाग या व्यवसाय का एक भाग अर्जित किया जा रहा है, नियंत्रणाधीन किया जा रहा है, अन्य उद्यम के साथ विलय या समामेलित किया जा रहा है।

(4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अल्पतम शास्ति) विनियम, 2024, जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(4)/आरईजी-एलपी/2023-24 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीसीआई/आरईजी-सीआर/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निपटान) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीसीआई/आरईजी-एसआर/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्ति का निर्धारण) दिशानिर्देश, 2024, जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बी-64(3)-14011/1/2024-एटीडी-।। में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (टर्नओवर या आय का निर्धारण) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बी-14011/3/2024-एटीडी-।। में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2024, जो दिनांक 10 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(2)/आरईजीएल-जीईन(संशोधन)/2024/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

अपराह्न 12.03 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे**)** ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'ओलंपिक खेल, 2021 की तैयारी' विषय के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 325वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 332वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 339वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 339वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पांच) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(छह) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 357वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

#अपराह्न 12.04 बजे

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री भूपेन्द्र यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

''कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.02 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री संजय अनूप धोत्रे द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने वाले वाशिम से अकोट मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण के बारे में।
2. श्री रोडमल नागर द्वारा राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में।
3. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह द्वारा कानपुर हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं बढ़ाये जाने और मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में भूस्खलन पीड़ितों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा एम्स भुवनेश्वर को पूर्णतः कार्यात्मक बनाये जाने तथा मयूरभंज में हवाई पट्टी के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा शिमला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरहेड केबल लगाये जाने के बारे में।
7. श्री आलोक शर्मा द्वारा बीएचईएल, भोपाल से संबंधित मुद्दों के बारे में।
8. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा दक्षिण कन्नड़ में मादक द्रव्यों के सेवन की व्यापकता के बारे में।
9. श्री दिलीप शइकीया द्वारा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में।
10. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा रेनशॉ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

11. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा झालावाड़-बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के प्रभाव आकलन के बारे में।

12. श्री अनन्त नायक द्वारा बादामपहाड़ क्योंझर रेलवे लिंक परियोजना पर कार्य पूरा किए जाने के बारे में।

13. मोहम्मद रकिबुल हुसैन द्वारा डिब्रूगढ़, धुबरी और सिलचर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के बारे में।

14. श्री तनुज पुनिया द्वारा बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी (सं.15054 एवं 15053) के ठहराव हेतु अनुरोध के बारे में।

15. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को पुनः प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. सुश्री प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में गैर-प्राथमिकता धारक (एनपीएच) नागरिकों को शामिल किए जाने के बारे में।

17. श्री रमाशंकर राजभर द्वारा सहारा कोऑपरेटिव्स के निवेशकों को धन वापसी के बारे में।

18. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री बापी हलदर द्वारा मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा सागर मंदिर की विरासत को बचाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) में विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पोलाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नए अंडर ब्रिज के निर्माण के बारे में।

22. श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा मठाही रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने के बारे में।

23. श्री संजय दीना पाटिल द्वारा शहरी पथ विक्रेता नीति बनाए जाने के बारे में।

24. श्री अमरा राम द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण के बारे में।

25. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और संसद सदस्यों की संरक्षा और सुरक्षा के बारे में।

अपराह्न 1.03 बजे

8. (एक) केंद्रीय बजट- - 2024-25 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा; और

(तीन) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगे - 2024-25

आवंटित समय : 20 घंटे

लिया गया समय : 22 घंटे

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा एक साथ ली गई:-

(i) वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा।

(ii) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा।

(iii) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मांग सं. 1 से 36 के संबंध में अनुदानों की मांगे - 2024-25

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती डिम्पल यादव
2. श्री सुरेश कुमार कश्यप
3. श्री असादुद्दीन ओवैसी
4. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन
5. श्री के. राधाकृष्णन
6. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
7. श्री राहुल गांधी
8. श्री विष्णु दत्त शर्मा
9. श्री अवधेश प्रसाद
10. श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी
11. श्री के. सुब्बारायण
12. श्रीमती शताब्दी राय
13. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
14. *श्रीमती अनुप्रिया पटेल
15. श्री वरुण चौधरी
16. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
17. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
18. श्री बृजमोहन अग्रवाल
19. श्री विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील
20. श्री नवीन जिंदल
21. श्री थोल तिरूमावलवन
22. श्री विजय कुमार हाँसदाक
23. श्री राजू बिष्ट
24. श्री उज्ज्वल रमण सिंह
25. श्री नरेश गणपत म्हस्के
26. एडवोकेट चन्द्रशेखर
27. श्री राज कुमार रोत
28. श्री प्रदान बरुआ
29. श्री आदित्य यादव
30. श्री इन्द्रा हांग सुब्बा
31. श्री इटेला राजेंदर
32. श्री मोहम्मद हनीफ़ा
33. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल
34. श्री सालेंग ए. संगमा

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

35. श्री दर्शन सिंह चौधरी
36. श्री अमर शरदाराव काले
37. श्री फणी भूषण चौधरी
38. श्री जयन्त बसुमतारी
39. श्री मुरारी लाल मीना
40. डॉ. शिव पाल सिंह पटेल उर्फ डॉ. एस.पी.सिंह
41. डॉ. किरसान नामदेव
42. श्री जी. कुमार नायक
43. श्रीमती कमलजीत सहरावत

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/ 8 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 14

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101,102,103 (105 के साथ युग्मित),104 तथा 106 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एसईईपीजेड एसईजेड एथॉरिटी, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसईईपीजेड एसईजेड एथॉरिटी, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कांडला एसईजेड एथॉरिटी, कांडला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला एसईजेड एथॉरिटी, कांडला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (1) से (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विशेष आर्थिक क्षेत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 12 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 105(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) राष्ट्रीय डिजायन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजायन संस्थान मध्य प्रदेश अध्यादेश, 2023 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीनेट-12/12/2023 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.331(अ) जो दिनांक 23 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 38 के एचएस कोड 38089390 के अंतर्गत आच्छादित ग्लूफोसिनेट टेक्निकल की आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.632(अ) जो दिनांक 12 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नवीन वाहनों के आयात के लिए मुंद्रा पत्तन और आईसीडी गढ़ी हरसारू को शामिल करना अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.649(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 'निर्यात मद, 2023 का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम)' [आईटीसी (एचएस), 2023 की निर्यात नीति, अनुसूची दो के अध्याय 01-39] को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.846(अ) जो दिनांक 23 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली दाल के लिए आयात अवधि में विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.969(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.39 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ.994(अ) जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बांग्लादेश को प्याज का निर्यात (एचएस कोड 0703 10 19 के अंतर्गत) अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.1001(अ) जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से उसमें उल्लिखित खाद्य जिंसों का निर्यात अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.1113(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यूएई को प्याज का निर्यात (एचएस कोड 0703 10 19 के अंतर्गत) अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.1118(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 2 बत्तख मांस के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ.1115(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूटान, बहरीन और मॉरीशस को प्याज का निर्यात (एचएस कोड 0703 10 19 के अंतर्गत) अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.1129(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत कच्चा पीट कोक और कैलसाइन्ड पीट कोक के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.1162(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अग्रिम प्राधिकृत धारकों और ईओयू द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के विषयाधीन आगतों के आयात हेतु सुगमीकरण उपबंधों को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ.1251(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अग्रिम प्राधिकृत धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के विषयाधीन आगतों के आयात हेतु सुगमीकरण उपबंधों को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ.1249(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्यात नीति के आईटीसी एचएस अनुसूची-2 के अध्याय 30 के अंतर्गत मानव जीवविज्ञानीय नमूनों की निर्यात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ.1250(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्यात नीति के चितीन, चितोसन, चितोसन लवण, चितोसन लवण (चितोसन हाइड्रोक्लोराइड, चितोसन एसिटेट, चितोसन लैक्टेट) और चितोसन डेरीवेटिव (चितोसन सक्सिनामाइड) के निर्यात के लिए नीति शर्त के समावेशन को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ.1360(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) का अधिरोपण अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ.1403(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डी-ऑयल्ड राईस ब्रान की नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ.1435(अ) जो दिनांक 16 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर, 2024 तक सिंथेटिक नीटेड फैब्रिक्स पर न्यूनतम आयात मूल्य का अधिरोपण अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ.1434(अ) जो दिनांक 16 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 2 के अंतर्गत बत्तख मांस के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ.1473(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) में यूरिया के लिए आयात नीति शर्त (एक्जिम कोड 31021010) के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ.1535(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 27090010 के अंतर्गत कच्चे तेल की नीति शर्त में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ.1541(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ.1567(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एससीओएमईटी की श्रेणी 8ए5 के अंतर्गत आच्छादित दूरसंचार - संबंधित मदों और सूचना सुरक्षा मदों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकृति को अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ.1597(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 1006 30 90 के अंतर्गत काला नमक चावल के 1000 एमटी का निर्यात को अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ.1600(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज का निर्यात (एचएस कोड 0703 10 19 के अंतर्गत) अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ.1624(अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2024-25 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य जिंसों की आपूर्ति को अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ.1633(अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली दाल के लिए आयात अवधि में विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.1634(अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के अंतर्गत तरबूज बीजों के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ.1715(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2024-25 के दौरान मालदीव गणराज्य को प्रतिषेधित/प्रतिबंधित अनिवार्य जिंसों की आपूर्ति पर पत्तन प्रतिबंधों का अधिरोपण अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.1716(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीलंका और यूएई को प्याज का निर्यात (एचएस कोड 0703 10 19 के अंतर्गत) अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ.1773(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया को सुसंगत किया जाना अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ.1800(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 07031019 के अंतर्गत सफेद प्याज के 2000 एमटी का निर्यात अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ.1906(अ) जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(चौतीस) का.आ.1929(अ) जो दिनांक 7 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य जिंसों का निर्यात अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ.1966(अ) जो दिनांक 9 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची -एक (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली दाल के लिए आयात अवधि में विस्तार अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ.2105(अ) जो दिनांक 27 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी एचएस 2022 अनुसूची एक आयात नीति और विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.31 में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ.2165(अ) जो दिनांक 3 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 38 के एचएस कोड 38089390 के अंतर्गत आच्छादित 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' के मद विवरण में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ. 2207(अ) जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य जिंसों का निर्यात अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ.2213(अ) जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अग्रिम प्राधिकृत धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के विषयाधीन आगतों के आयात हेतु सुगमीकरण उपबंध अधिसूचित किए गए हैं, तथा जिसका एक शुद्धिपत्र दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2255(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चालीस) का.आ.2232(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के लिए आयात नीति में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ.2369(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से मलावी और जिम्बाब्वे को गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 10063090 के अंतर्गत) का निर्यात अधिसूचित किया गया है।

(11) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान असम, जोरहाट के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान असम, जोरहाट के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान आंध्र प्रदेश, अमरावती के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान आंध्र प्रदेश, अमरावती के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान हरियाणा, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान हरियाणा, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 228(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ.1148(अ) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 1974 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.9(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.1854(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 1974 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.9(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पंद्रहवां संशोधन) आदेश, 2023 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5389(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 9 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.94(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 1 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.400(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का.आ.1590(अ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में नवीन पादप संघरोध स्टेशन (पीडब्ल्यूएस) की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1591(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1593(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 3 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1601(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 3 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1602(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2195(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2024 जो 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2477(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) कृषि उपज (श्रेणी और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा (3) की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) गैर बासमती सुगंधित चावल श्रेणी और चिह्नांकन नियम, 2024 जो 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.82(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शहद श्रेणी और चिह्नांकन नियम, 2024 जो 07 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.316(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सामान्य श्रेणी और चिह्नांकन (संसोधन) नियम, 2024 जो 05 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.371 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचना संख्या का.आ. 1120(अ) जो 07 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा मोहम्मद कासिम गुज्जर @ सलमान @ सुलेमान के नाम जोड़े गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समेन काडर, हेड कांस्टेबल (कुक) और हेड कांस्टेबल (वॉटर कैरियर), समूह ग पद, भर्ती नियम, 2024 जो 4 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 308(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर काडर (समूह 'ख, और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 16 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तकनीकी काडर, उप निरीक्षक (आर्मरर) और उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) समूह 'ख', भर्ती नियम, 2024 जो 19 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तकनीकी काडर, ट्रेड्समेन काडर, सहायक उप निरीक्षक (कारपेंटर), समूह 'ग', भर्ती नियम, 2024 जो 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 147(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) आसाम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, आसाम राइफल्स नायब सूबेदार (ड्राफ्ट्समैन), समूह 'ख (युद्धक) पद भर्ती नियम, 2024 जो 09 मार्च, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 के लिए हिंदी के प्रसार और विकास में तेजी लाने तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए इसके प्रगतिशील उपयोग और इसके कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम के बारे में 54वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक अभियांत्रिकी काडर, निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन), निरीक्षक (पायनियर), उप-निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन) और उप-निरीक्षक (पायनियर), समूह 'ख पद, भर्ती नियम, 2024 जो 18 मई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 55 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'क' युद्धक (राजपत्रित) अनुसचिवीय और निजी सचिव काडर पद भर्ती नियम, 2024 जो 23 दिसम्बर, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 198 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'क' युद्धक अभियांत्रिकी काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो 16 मार्च, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 33 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल सहायक उप-निरीक्षक (पशु चिकित्सा), हेड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) और कांस्टेबल (पशु चिकित्सा), समूह 'ग पद, भर्ती नियम, 2024 जो 16 मार्च, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 31 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, संचार काडर, निरीक्षक (संचार) और उप-निरीक्षक (संचार), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 जो 18 मई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 54में प्रकाशित हुए थे।

(छह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, परा-चिकित्सक काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 24 फरवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 16 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, अनुसचिवीय और स्टेनोग्राफर काडर, सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर), सहायक उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय) और हेड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), समूह 'ग पद, भर्ती नियम, 2024 जो 15 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 75 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, अनुसचिवीय और स्टेनोग्राफर (अराजपत्रित), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 जो 13 जनवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 01 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, संचार काडर, सहायक उप-निरीक्षक (संचार) और हेड कांस्टेबल (संचार), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2024 जो 16 मार्च, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 32 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, परा-चिकित्सक काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 24 फरवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 17 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, निरीक्षक (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 जो 15 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 74 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, युद्धक, कांस्टेबल (चालक) , समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2024 जो 18 मई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में सा.का.नि. 56 में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (दो) और (आठ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमन्ना) ने वर्ष 2024-2025 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) वर्ष 2024-2025 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2024-2025 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2024-2025 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सीरी इंस्टीट्यूट फॉर दि इन्टलेक्चुअल डिसेबिलिटी (सीरी एडुकेशनल सोसाइटी) काकीनाड़ा, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीरी इंस्टीट्यूट फॉर दि इन्टलेक्चुअल डिसेबिलिटी (सीरी एडुकेशनल सोसाइटी) काकीनाड़ा, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्पूर्ति वेलफेयर सोसाइटी, प्रकासम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पूर्ति वेलफेयर सोसाइटी, प्रकासम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अल शीफा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड ओल्ड एजेड, कडपा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अल शीफा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड ओल्ड एजेड, कडपा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड, एलुरु, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड, एलुरु, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नॉर्थ बंगाल हैंडिकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ बंगाल हैंडिकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल कन्सट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल कन्सट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर एंड लेबरर्स, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर एंड लेबरर्स, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) काचाजुली फिजीकली हैंडीकेप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर, असम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काचाजुली फिजीकली हैंडीकेप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर, असम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) प्रगति चैरिटीज़, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति चैरिटीज़, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) वाणी स्कूल एंड रिसर्च सेंटर (फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया ट्रस्ट द्वारा संचालित), मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाणी स्कूल एंड रिसर्च सेंटर (फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया ट्रस्ट द्वारा संचालित), मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड हाई स्कूल, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड हाई स्कूल, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी (पेरेंट्स एसोसीएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकेप्ड पर्सन्स), हैदराबाद, तेलेगाना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी (पेरेंट्स एसोसीएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हेंडीकेप्ड पर्सन्स), हैदराबाद, तेलेगाना के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खंड-एक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(2) गृह मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खंड-दो) (संघ राज्यक्षेत्र) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) गृह मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अध्यादेश सं. 408/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के छात्रों के निवास की शर्तें अधिसूचित की गई हैं।

(दो) अध्यादेश सं. 409/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उन कर्मचारियों, जिनके लिए डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के परिनियमों में उपबंध किए गए हैं, के अलावा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और परिलब्धियां अधिसूचित की गई हैं।

(तीन) अध्यादेश सं. 410/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में, उसमें उल्लिखित विशेष केंद्रों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं की स्थापना का उपबंध अधिसूचित किया गया है।

(चार) अध्यादेश सं. 411/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में, उसमें उल्लिखित महत्वपूर्ण निकायों अथवा संघों/उद्योगों सहित अन्य विश्वविद्यालों और प्राधिकरणों के साथ सहकारिता और सहयोग की रीति को विशेष केंद्रों, विशेषीकृत प्रयोगशालायों की स्थापना का उपबंध अधिसूचित किया गया है।

(पांच) अध्यादेश सं. 412/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कॉलेजों और सस्थाओं के प्रबंधन के बारे में है।

(छह) अध्यादेश सं. 413/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए बनाए जा सकने वाली, उसमें उल्लिखित विशेष व्यवस्थाएं अधिसूचित की गई हैं।

(सात) अध्यादेश सं. 414/डीआरपीसीएयू (वीसी), पूसा जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए, उसमें उल्लिखित तंत्र की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की विस्तृत अनुदानों की मांगें।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की विस्तृत अनुदानों की मांगें।

(2) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(3) भारी उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की विस्तृत अनुदानों की मांगें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2024-2025 के लिए वस्त्र मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) वस्त्र समिति के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 1626 (अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यधीन श्री विवेक रंजन मैत्रे, निदेशक, हथकरघा और रेशम कीट पालन, बिहार सरकार के नामनिर्देशन को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1077 (अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यधीन श्रीमती काजोरी राजखोवा, रेशम कीट पालन निदेशक, असम सरकार के नामनिर्देशन को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1934 (अ) जो दिनांक 7 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यधीन श्री शैलेन्द्र कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार, कृषि उत्पादन विभाग के नामनिर्देशन को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(10) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 2500(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 5459(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(11) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) वस्त्र समिति के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:-

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 10) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों का विकास' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 181वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पांच) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 10) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(छह) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(सात) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत के लाभार्थ स्टार्टअप्स का पारितंत्र' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 182वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(आठ) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों का विकास' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 181वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

2. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'संगठित और असंगठित क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा उपाय' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*3. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

5. कॉफी बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 3(1) और 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

6. मसाला बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1)(ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति

* अपराह्न 3.34 बजे

से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

7. रबड़ बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

8. केन्द्रीय रेश्म बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

9. राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द राय ने श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राजभाषा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

10. चाय बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1)(ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

11. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि एमपीईडीए नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

[#]अपराहन 12.12 बजे

12. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री राहुल गांधी ने केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन के बारे में निवेदन किया।

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री एम. के. राघवन, श्री एंटो एन्टोनी, श्री हैबी ईडन, एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर सहयोजित हुए।

[@]श्री किरेन रिजिजू ने उत्तर दिया ।

[#] अपराहन 12.12 से अपराहन 1.03 तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

[@] संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ।

***13. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्रीमती हिमाद्री सिंह द्वारा कोयला खनन के लिए उपयोग न की गई अधिगृहीत भूमि के उपयोग के बारे में।

2. श्री बलभद्र माझी द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी के भुगतान के शेड्यूल के बारे में।

3. श्री लुम्बा राम द्वारा कड़ाना बांध से जालोर सिरोही जिले को पानी की आपूर्ति किए जाने के अनुरोध के बारे में।

4. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत किए जाने के अनुरोध के बारे में।

5. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा रायपुर आकाशवाणी केंद्र में रिक्त पदों को भरे जाने और जगदलपुर केंद्र से ई बैंड अप-लिंक आरएनयू सुविधा शुरू किए जाने के बारे में।

6. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी जिले में जूनागढ़ से धरमगढ़ तक रेल लाइन के विस्तार के बारे में।

7. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा गुजरात के आनंद में आईआईटी तथा आईआईएम की स्थापना के बारे में।

8. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की तैनाती करके चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में।

9. श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने के बारे में।

10. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा शंकरपल्ली और विकारबाद तक मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली का विस्तार किए जाने के बारे में।

11. श्री गणेश सिंह द्वारा सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की मांग के बारे में।

12. श्री हैबी ईडन द्वारा एनएच 66 (कासरगोड - तिरुवनंतपुरम) पर छह लेन वाले एलिवेटेड राजमार्ग के निर्माण के बारे में।

13. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल में विझिनजाम - नवाइकुलम आउटर रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के बारे में।

14. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुलावनिगरपुरम में सड़क उपरी पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

15. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि किए जाने तथा गन्ना किसानों को बकाया भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री देवेश शाक्य द्वारा एटा-कासगंज रेलवे लाइन परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री खलीलुर रहमान द्वारा जंगीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एएमयू मुर्शिदाबाद शाखा में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 1.12 बजे

18. श्री टी.एम.सेल्वागणपति द्वारा सलेम से रेल सेवाओं की शुरूआत के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन के बारे में।

19. श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के बारे में।

20. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा कल्याण और ठाणे के बीच शटल रेल सेवा शुरू किए जाने के बारे में।

21. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा बोकारो स्टील प्लांट से प्रभावित विस्थापितों के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में।

22. श्री फणी भूषण चौधरी द्वारा असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में।

23. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा प्याज और गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए नीति बनाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री गौरव गोगोई द्वारा जोरहाट और शिवसागर के बीच रेल संपर्क के बारे में।

अपराह्न 1.04 बजे

14. (एक) केंद्रीय बजट- 2024-25 पर सामान्य चर्चा;
(दो) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा; और
(तीन) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगे – 2024-25

आवंटित समय : 20 घंटे

लिया गया समय : 27 घंटे 19 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा एक साथ ली गई:-

(i) वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा।

(ii) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा।

(iii) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मांग सं. 1 से 36 के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगे

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
2. श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश *उर्फ* बालूभाऊ
3. डॉ. के.सुधाकर
4. श्री अखिलेश यादव
5. श्री के.नवासखनी
6. * श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
7. * श्री राधा मोहन सिंह
8. * श्री रमाशंकर राजभर

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

9. श्री राजेश वर्मा
10. * श्री पुष्पेंद्र सरोज
11. * सुश्री इकरा चौधरी
12. * श्री वी. के. श्रीकंदन
13. * डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
14. * सुश्री जोतिमणि एस.
15. * डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
16. श्री अरुण कुमार सागर
17. * श्रीमती शांभवी चौधरी
18. * एडवोकेट डीन कुरियाकोस
19. *श्री सुनील कुमार
20. श्री अल्फ्रेड कनंगम एस.आर्थर
21. * श्रीमती स्मिता उदय वाघ
22. श्री अमरा राम
23. *डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
24. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
25. * श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
26. *प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
27. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर
28. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
29. * श्री हँसमुखभाई पटेल (एच.एस.पटेल)
30. * श्री मितेश पटेल (बकाभाई)
31. * श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
32. * डॉ. मोहम्मद जावेद
33. श्री जिया उर रहमान
34. * श्री डी. एम. कथीर आनंद
35. * श्री जी. सेल्वम
36. * श्री एस.जगतरक्षकन
37. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
38. * श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
39. * श्री एंटो एन्टोनी
40. श्री अजय भट्ट
41. * श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव
42. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
43. * श्रीमती मालविका देवी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

44. * श्री संतोष पांडेय
45. * श्री बिद्युत बरन महतो
46. * डॉ. विनोद कुमार बिंद
47. * श्री खगेन मुर्मु
48. श्री शशांक मणि
49. * श्रीमती संगीता कुमारी देव
50. * श्री बिभु प्रसाद तराई
51. श्रीमती लवली आनंद
52. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
53. * श्री के. ईश्वरस्वामी
54. श्री अनुराग सिह ठाकुर
55. * श्री दुलू महतो
56. * श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
57. * डॉ. सी. एन. मंजूनाथ
58. * श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
59. * श्री बी. वाई. राघवेन्द्र
60. * श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
61. * डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
62. * डॉ. रानी श्रीकुमार
63. * श्री शंकर लालवानी
64. * श्री विनोद लखमशी चावड़ा
65. * श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
66. * श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
67. * श्री दिलेश्वर कामैत
68. * श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी
69. * श्री जगदम्बिका पाल
70. * श्री राम शिरोमणि वर्मा
71. * श्री कौशलेन्द्र कुमार
72. * श्रीमती संध्या राय
73. * श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
74. * डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
75. * श्रीमती मंजू शर्मा
76. * श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
77. * कैप्टन बृजेश चौटा

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

[#]श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए सभी अनुदानों की मांग सं. 1 से 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.24 बजे

15. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024

सायं 6.26 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.28 बजे

17. नियम 331छ के निलंबन के लिए प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331छ को उसे लागू किए जाने के संबंध में निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

[#] वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

सायं 6.28 बजे

18. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने अनुदानों की मांगों की जांच करने और सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें स्थायी समितियों को सौंपे जाने के बारे में टिप्पणी की।

सायं 6.30 बजे

19. केन्द्रीय बजट - 2024-2025 - अनुदानों की मांगे

आवंटित समय : 5 घंटे

लिया गया समय : 01 घंटा 30 मिनट

शेष : 03 घंटे 30 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं. 85 पर चर्चा।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्तावों के पेश किए जाने के संबंध में #घोषणा की।

रेल मंत्रालय से संबंधित 31 कटौती प्रस्ताव (संख्या 2 से 11, 13 से 22, 23 से 32 तथा 33) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
2. श्री सुधीर गुप्ता
3. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
4. श्री दरोगा प्रसाद सरोज
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
7. श्री एम.के. राघवन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 31 जुलाई, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 31 जुलाई, 2024/ 9 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 15

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह को 30 जुलाई, 2024 को पेरिस ओलंपिक में हुई 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सुश्री मनु भाकर को एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय महिला एथलीट बनने पर भी बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 124 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 125 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.38 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) योजना मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) गृह कल्याण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गृह कल्याण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का 73वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में प्रतिवेदित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

(12) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 251(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 367(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1317(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश - 03, दक्षिण, साकेत, नई दिल्ली के न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश-I, पणजी, गोआ के न्यायालय को पदाभिहित न्यायालयों के रूप में अभिहित किया गया है।

(14) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 की धारा 25 के अंतर्गत अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान नियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 353(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) लोक परीक्षा (अनुचित संसाधन निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 17 के अंतर्गत लोक परीक्षा (अनुचित संसाधन निवारण) नियम, 2024 जो दिनांक 24 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आधार (नामांकन और अद्यतन करना) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 16 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ. सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-।-एचक्यू (ई) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन, विनियम, 2024 जो दिनांक 25 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूएडीएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आधार (नामांकन और अद्यतन करना) दूसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 27 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ. सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-।-एचक्यू(ई) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आधार (सूचना का साझाकरण) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 27 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ. सं. एचक्यू-13073/1/2024-अधिप्रमा.-।।-एचक्यू/सी-13751(ई) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आधार (अधिप्रमाणन के निष्पादन हेतु शुल्क का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ. सं. एचक्यू-13073/1/2020- अधिप्रमा.-।।-(ई) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ.सं. एचक्यू-13073/1/2020- अधिप्रमा.-।।-(ई) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 31 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. एफ. सं. एचक्यू-13073/1/2020- अधिप्रमा.-।।-(ई) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) डाक विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) डाक विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा संकेतकों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा संकेतकों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 जो दिनांक 4 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 21 के अंतर्गत प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खान मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.345(अ) जो दिनांक 24 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1220(अ) को संशोधित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.2628(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ.1523(अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या अन्य का लोप किया गया है, डॉ. वीना कुमारी दरमल, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.04 बजे

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'मोटे अनाज का उत्पादन और वितरण' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.05 बजे

7. सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.18 बजे

8. केंद्रीय बजट- 2024-2025 - अनुदानों की मांगे

आबंटित समय:4 घंटे

लिया गया समय:10 घंटे 54 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 85 पर आगे की चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री टी. एम. सेल्वागणपति
2. श्री दिलीप शइकीया
3. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर

4. श्री देवेश शाक्य
5. श्री बापी हलदर
6. श्री हरीश चंद्र मीना
7. श्री मोहिते-पाटील धैर्यशील राजसिंह
8. श्री राधा मोहन सिंह
9. श्री रामप्रीत मंडल
10. श्री अनिल बलूनी
11. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
12. श्री राजेश वर्मा
13. श्री सनातन पाण्डेय
14. श्री तापिर गाव
15. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
16. श्री अभय कुमार सिन्हा
17. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
18. श्री एस मुरसोली
19. श्रीमती मिताली बाग
20. डॉ. भोला सिंह
21. श्री सु.वैंकटेशन
22. श्री शंकर लालवानी
23. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
24. श्रीमती संध्या राय
25. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
26. *डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
27. *श्री अनन्त नायक
28. *श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी
29. *श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे
30. *श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
31. *श्री मितेश पटेल (बकाभाई)
32. *डॉ. आलोक कुमार सुमन
33. *श्री नरेश गणपत म्हस्के
34. *श्री दुलू महतो
35. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
36. *श्री अरुण कुमार सागर
37. *श्रीमती सुप्रिया सुले
38. *श्री सुनील कुमार,

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

39. *डॉ. मोहम्मद जावेद
40. *श्री वीरेन्द्र सिंह
41. *श्रीमती भारती पारधी
42. *श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान
43. *श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही
44. *श्री वी.वैथिलिंगम
45. *सुश्री एस.जोतिमणि,
46. *श्री गौरव गोगोई
47. *श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
48. *श्री राजू बिष्ट
49. * श्री सी. एन.अन्नादुरई
50. *श्री दिनेश चंद्र यादव
51. *श्री वी. के. श्रीकंदन
52. *श्री के. गोपीनाथ
53. *श्री कामाख्या प्रसाद तासा
54. *श्री रमाशंकर राजभर
55. *श्री के. ईश्वरस्वामी
56. श्री संतोष पांडेय
57. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
58. श्री बिद्युत बरन महतो
59. डॉ. मल्लू रवि
60. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
61. श्री अनुराग शर्मा
62. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
63. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
64. श्री अरविंद गणपत सावंत
65. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
66. श्री विजय कुमार दूबे
67. *सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
68. श्री राजमोहन उन्नीथन
69. *प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
70. श्री वी.सेल्वाराज
71. श्री सुदामा प्रसाद
72. श्रीमती मंजू शर्मा
73. सुश्री जून मालिया

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

74. *श्री गुरजीत सिंह औजला
75. श्रीमती जोबा माझी
76. डॉ. राजेश मिश्रा
77. डॉ.राजकुमार सांगवान
78. श्री अजय भट्ट
79. श्री गुरुमीत सिंह मीत हायेर
80. डॉ. डी. रवि कुमार
81. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
82. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
83. *श्री जसवन्तसिंह सुमनभाई भाभोर
84. *श्री अशोक कुमार रावत
85. श्रीमती मालविका देवी
86. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
87. श्री दुरई वाइको
88. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.
89. श्री कल्याण बनर्जी
90. श्री कौशलेंद्र कुमार
91. श्री लुम्बा राम
92. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
93. *श्री राव राजेंद्र सिंह
94. श्री फणी भूषण चौधरी
95. श्री हनुमान बेनीवाल
96. श्री सतपाल ब्रह्मचारी
97. श्री प्रवीण पटेल
98. श्री अमर शरदराव काले
99. श्री छोटेलाल
100. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव
101. श्री शेर सिंह घुबाया
102. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
103. श्री आनन्द कुमार
104. श्री अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मिकी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

105. श्री भजन लाल जाटव
106. एडवोकेट चन्द्र शेखर
107. श्री गोपाल जी ठाकुर
108. श्री विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील
109. श्री कुलदीप इंदौरा
110. श्री आनंद भदौरिया
111. श्री दर्शन सिंह चौधरी
112. डॉ. प्रशांत यादव राव पडोले
113. श्री कलिसेट्टी अप्पलनायडू
114. श्री श्यामकुमार (बबालू) दौलत बर्वे
115. श्री आर.के.चौधरी
116. श्री प्रदीप कुमार सिंह
117. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम
118. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
119. श्री सुरेश कुमार शेटकर
120. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
121. श्री निशिकान्त दुबे
122. श्री राजकुमार रोत
123. श्री धर्मेन्द्र यादव
124. डॉ. संजय जायसवाल
125. श्री योगेन्द्र चांदोलिया
126. श्री आदित्य यादव
127. श्रीमती कमलजीत सहरावत
128. श्री जगदम्बिका पाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

***9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री प्रवीण पटेल द्वारा फूलपुर संसदीय क्षेत्र में आईटीआई के शीघ्र पूरा होने के अनुरोध के बारे में।
2. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में एनएच-730 सी के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में।
3. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा पालघर संसदीय क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के बारे में।

---

* अपराह्न 12.33 बजे

4. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा तापी और सूरत जिलों में तैराकी केंद्र स्थापित करने के अनुरोध के बारे में।
5. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा में लौह अयस्क खनन में कथित अनियमितताओं की जांच के अनुरोध के बारे में।
6. श्री अनुराग शर्मा द्वारा आगामी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण परियोजना में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और रोजगार देने के अनुरोध के बारे में।
7. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा भुसावल से पुणे तक सीधी रेल सेवा के अनुरोध के बारे में।
8. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा कामलीघाट और ब्यावर के बीच एनएच-48 के निर्माण में कथित अनियमितताओं और राजसमंद संसदीय क्षेत्र में एक अंडरपास की मंजूरी के अनुरोध के बारे में।
9. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा हवेली मुक्ति दिवस को अवकाश घोषित करने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी में रबर अनुसंधान स्टेशन में निवेश के बारे में।
11. श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में बिजली आपूर्ति के निजीकरण के बारे में।
12. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा नंदुरबार संसदीय क्षेत्र के गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।
13. प्रो. सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल को बाढ़ और मृदा अपरदन के लिए धन आवंटन के बारे में।
14. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में थावे मंदिर के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर में स्टील विनिर्माण इकाई स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में।
16. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा केरल से जीदेशों की यात्रा करने वाले प्रवासियों के .सी.सी. ने वाली कठिनाइयों के बारे में।सामने आ
17. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा हवाई किराए के विनियमन के बारे में।
18. श्री राजकुमार चाहर द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय क्षेत्र के अछनेरा में केंद्रीय विद्यालय भवन के शीघ्र पूरा होने के अनुरोध के बारे में।
19. डॉ. अमर सिंह द्वारा फतेहगढ़ साहिब में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में।
20. श्री राजकुमार रोत द्वारा राजस्थान में बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु जिले में अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ भूमिगत जल निकासी प्रणाली के विकास के बारे में।
22. श्रीमती संजना जाटव द्वारा भरतपुर में एम्स जैसी संस्था और उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना के अनुरोध के बारे में।

23. श्रीमती संध्या राय द्वारा भिंड और दतिया जिलों में एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के बारे में।
24. श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा जाति जनगणना के बारे में।
25. श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा तमिलनाडु के जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल करने के बारे में।
26. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों द्वारा किए गए विनाश के बारे में।
27. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा तेलंगाना को विशेष सहायता निधि जारी करने के बारे में।

***10 ध्यानाकर्षण**

श्री के. सी. वेणुगोपाल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुए जान-माल के नुकसान के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोकसभा अपराह्न 3.47 पर स्थगित हुई
और अपराह्न *4.00 बजे पुनः समवेत हुई।*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

रात्रि 10.48 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 1 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* **अपराह्न 03.15 बजे**

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 01 अगस्त, 2024/ 10 श्रावण, 1946 (शक)

संख्या 16

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 147 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 148 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. [**]अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर महामहिम श्री नुगाका फुकुशिरो और संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के स्वागत की घोषणा की और उन्हें सभा की ओर से शुभकामनाएं दी।

---

[*] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(64) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) (छठा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 03 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी:-01/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 06 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-14/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए कार्यनिष्पादन मानक) (पहला संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 19/20/2015-जेईआरसी/1680 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/01 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/02 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतरा-राज्य पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस प्रदान करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/04 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (स्मार्ट ग्रीड) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/07 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/08 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड-इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/09 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण निष्पादन मानक) विनियम, 2023, जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/17 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2023'', जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2025/16 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और उसका अनुपालन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/05 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय से आय का उपचार) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/03 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसधारियों की आपूर्ति करने में हुए व्यय और अन्य विविध प्रभारों की वसूली करने की शक्ति) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/06 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट ग्रिड कोड) विनियम, 2023'', जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/19 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण कोड) विनियम, 2023'', जो दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/19 में प्रकाशित हुए थे।

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/268/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एल-1/261/2021/सीईआरसी जो दिनांक 1 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि दूसरा संशोधन विनियम 15.07.2024 से प्रभावी होंगे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरए-14026(11)/1/2023-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस (प्रसंस्करण, आपूर्ति और वितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों का निवारण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 208(अ) में प्रकाशित हुआ था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.2491(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा सड़क संगठन को सौंपने के बारे में है।

(दो) का.आ.2492(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार को सौंपने के बारे में है।

(तीन) का.आ.2493(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के का.आ.4783(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.2494(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के का.आ.3228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ.2495(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.5107(अ) को निरस्त किया गया है।

(छह) का.आ.2683(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(सात) का.आ.2788(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(आठ) का.आ.2789(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (एक) और (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) की ओर से ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने मेट्रो रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) का.आ.1778(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 2065(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.2220(अ) जो दिनांक 8 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 और 19 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. क्रमश: का.आ. 3703(अ) और का.आ.2819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखी:-

(एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण विनियम, 2023 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विनिर्दिष्ट बांध की जांच, उपकरण, भूकंपीय डाटा, जोखिम आकलन और मूल्यांकन विनियम, 2024 जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विनिर्दिष्ट बांध-निगरानी, निरीक्षण और जल-मौसमविज्ञानीय स्टेशन विनियम, 2024 जो दिनांक 28 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बांध निर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय विनियम, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की और से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 19/2024-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31 जुलाई, 2024, जिसका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को रु. 7000/एमटी से कम करके रु. 4600/एमटी करने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 41/2024-सीमा-शुल्क, हो 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थे तथा जिसका आशय संबंधित आयातक से विनिर्दिष्ट वचनपत्र के अध्यधीन, प्रयोगशाला में उपयोग के लिए अथवा अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए एचएस 9802 00 00 के अंतर्गत आने वाले प्रयोगशाला रसायनों (किसी भी एल्कोहोलिक स्ट्रेंथ के अनडीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल को छोड़कर) पर 1 अगस्त, 2024 से लागू बीसीडी दर को 150% से कम करके 10% करने के लिए 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क का संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

अपराह्न 12.07 बजे

5. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखत प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 31 जुलाई, 2024 को सभा में प्रस्तुत की गई कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) की ओर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार (सीईएफ़पीपीसी) हेतु योजना - एक मूल्यांकन' के संबंध में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

7. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीएम) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री रवनीत सिंह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन अधिनियम, 2021 की धारा 29(1) के साथ पठित धारा 28(2)(i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीएम) की परिषद के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

8. दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने श्री मनोहर लाल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ज) और उप-धारा (4) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

9. सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

श्री मनीष तिवारी और प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.22 बजे

10. सांविधिक संकल्प - स्वीकृत

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

''सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 12 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. 15/2024-सीमाशुल्क [सा.का.नि. 182(अ), दिनांक 12 मार्च, 2024] को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है, जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 9022 30 00 के अंतर्गत आने वाले एक्स-रे ट्यूब, और टैरिफ मद 9022 90 90 के अंतर्गत आने वाले फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स (सिंटीलेटर्स सहित) पर आयात शुल्क में वृद्धि की जा सके।''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.23 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में।
2. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बारे में।
3. श्री मनोज तिवारी द्वारा यमुना नदी से गाद निकाले जाने के बारे में।

4. श्री दुलू महतो द्वारा धनबाद में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के बारे में।
5. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा कोव्वुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
6. श्री विजय कुमार दूबे द्वारा कुशीनगर में मेगा फूड पार्क की स्थापना के बारे में।
7. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा भदोही में विद्यमान भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान को संसद के अधिनियम के अधीन लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री हरीभाई पटेल द्वारा एफसीआई डिपो को मेहसाणा शहर से बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने के बारे में।
9. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और वार्षिक अवकाश के प्रावधान के बारे में।
10. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा देवघर को अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारे से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत चंबा और कांगड़ा जिलों के गांवों के लिए सड़क संपर्क के बारे में।
12. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर बीसीए श्रेणी के लिए आरक्षण और जाति शिविर के प्रावधान के बारे में।
13. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा प्राकृतिक रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा केरल में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में।
15. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा बत्तखों की बिक्री पर प्रतिबंध के बारे में।
16. श्री राम प्रसाद चौधरी द्वारा बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु के त्रिपत्तूर में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के बारे में।
18. डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन द्वारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और पीजीआईएमएसआर, के.के. नगर, चेन्नई में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्रीमती लवली आनंद द्वारा शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुल के शीघ्र निर्माण के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा ईपीएस-95 योजना में विसंगतियों को दूर किए जाने के बारे में।
21. श्री सु. वेंकटेशन द्वारा नीट-यूजी, यूजीसी-नेट और नीट-पीजी परीक्षाओं के बारे में।
22. डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा बागपत जिले को खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल किए जाने और स्टेडियम के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेषज्ञ दल भेजकर भू-कटाव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.23 बजे

12. केंद्रीय बजट - 2024-2025 - अनुदानों की मांगे

आबंटित समय:4 घंटे

लिया गया समय:11 घंटा 54 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 85 पर आगे की चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. *श्री राहुल कस्वां
2. * श्रीमती स्मिता उदय वाघ
3. * श्री जी. सेल्वम
4. * डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन
5. * श्री विष्णु दयाल राम
6. * श्री खगेन मुर्मु
7. * डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
8. * श्री पी. पी. चौधरी
9. * श्री रामशिरोमणि वर्मा
10. * श्री तारिक अनवर
11. * श्री डी. एम. कथीर आनंद
12. * श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल
13. * श्री के. नवासखनी
14. * श्री आलोक शर्मा
15. * श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
16. * श्रीमती शांभवी
17. * श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान
18. श्री भर्तृहरि महताब

श्री अश्विनी वैष्णव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग संख्या **85** (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए रेल मंत्रालय अनुदानों की मांगों- केन्द्रीय बजट (सामान्य) 2024-25 की मुद्रित सूची के स्तंभ **3** के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 1.23 बजे

13. केंद्रीय बजट -2024-2025 - अनुदानों की मांगें

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 6 घंटे 47 मिनट

शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 25 और 26 पर चर्चा शुरू हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में #घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 13 कटौती प्रस्ताव (संख्या 8 से 11 और 21 से 29) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री तेजस्वी सूर्या
2. डॉ. मोहम्मद जावेद
3. डॉ. शिव पाल सिंह पटेल
4. श्रीमती प्रतिमा मंडल
5. श्रीमती के. कनिमोझी
6. श्री श्रीभरत मथुकुमिली
7. श्री सुनील कुमार
8. श्री संजय उत्तमराव देशमुख
9. श्री भास्कर मुरलीधर भगारे
10. श्री नरेश गणपत म्हस्के
11. श्री प्रताप चंद्र सारंगी
12. श्री एंटो एन्टोनी
13. श्री राजेश वर्मा
14. श्री सुधाकर सिंह
15. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
16. श्री सचिदानन्दम आर.
17. *डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
18. *श्री राजू बिष्ट
19. *डॉ. आलोक कुमार सुमन
20. *डॉ. के. सुधाकर
21. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
22. * श्री सी. एन. अन्नादुरई
23. * श्री गुरजीत सिंह औजला
24. * सुश्री एस. जोतिमणि
25. * श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
26. * श्री कृपानाथ मल्लाह

मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

27. * सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
28. * श्री दिलीप शइकीया
29. * श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
30. * श्री जयन्त बसुमतारी
31. * एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
32. * श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान
33. * श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
34. * श्री उज्ज्वल रमण सिंह
35. * कैप्टन बृजेश चौटा
36. * डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
37. *श्री कौशलेन्द्र कुमार
38. * श्री भर्तृहरि महताब
39. * एडवोकेट डीन कुरियाकोस
40. * कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
41. * श्री दिलेश्वर कामैत
42. * श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
43. * श्री गोपाल जी ठाकुर
44. * डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
45. * श्रीमती मालविका देवी
46. * श्री अनन्त नायक
47. *श्री के.नवासखनी
48. * डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन
49. * श्री बिद्युत बरन महतो
50. श्री के.सुब्बारायण
51. डॉ. संबित पात्रा
52. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
53. एडवोकेट प्रिया सरोज
54. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
55. कुमारी प्रियंका सतीश जर्कीहोली
56. श्री मलविंदर सिंह कंग
57. *श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
58. *श्री आनंद भदौरिया
59. * श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
60. * श्रीमती सुप्रिया सुले

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

61. * श्री राम शिरोमणि वर्मा
62. * श्री जी. कुमार नायक
63. * श्री अरुण कुमार सागर
64. श्रीमती भारती पारधी
65. प्रो. सौगत राय
66. श्री अनिल यशवंत देसाई
67. श्री अनिल फिरोजिया
68. श्री अभय कुमार सिन्हा
69. श्री अफ़ज़ाल अंसारी
70. डॉ. राजकुमार सांगवान
71. श्री सुदामा प्रसाद
72. * सुश्री शांभवी
73. * डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
74. * श्री पुष्पेंद्र सरोज
75. श्री हनुमान बेनीवाल
76. श्री मनीष जायसवाल
77. श्री असादुद्दीन ओवैसी
78. एडवोकेट चन्द्र शेखर
79. श्री श्रेयस एम. पटेल
80. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
81. श्री सतीश कुमार गौतम
82. सुश्री इकरा चौधरी
83. श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार
84. श्री राजकुमार रोत
85. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
86. श्री गोडम नागेश
87. श्री के. राजशेखर बसवराज हितनाल
88. डॉ. मन्ना लाल रावत
89. * श्री पी. पी. चौधरी
90. * श्री खगेन मुर्मु
91. * श्री डी. एम. कथीर आनंद
92. * श्री जिया उर रहमान
93. * श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदान की मांग संख्या 25 और 26 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय अनुदानों की मांगों- केन्द्रीय बजट (सामान्य) 2024-25 की मुद्रित सूची के स्तंभ **3** के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

[#]रात्रि 9.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[#] रात्रि 8.10 बजे से रात्रि 9.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

———

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

——

शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024/ 11 श्रावण, 1946 (शक)

———

संख्या 17

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्री स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक में 1 अगस्त, 2024 को हुई 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 167 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 168 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाधव प्रतावराव गणपतराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओषधि (चौथा संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 02 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.360(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि (चौथा संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 05 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.95(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ओषधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 18 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.216(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ओषधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 28 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.293(अ) में प्रकाशित हुए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरई के वर्ष 2021-2022 और 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरई के वर्ष 2021-2022 और 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 54 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदनों तथा विवरणों का प्रस्तुतीकरण) नियम, 2024, जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग नियम, 2024, जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन तथा विवरण) नियम, 2024, जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नियम, 2024, जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 990(अ) जो दिनांक 01 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 की कतिपय धाराओं से संबंधित उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में दिनांक 29 फरवरी, 2024 को नियत किया गया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) की ओर से विदेश मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांतनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 113 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतर्देशीय पोत (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 जो दिनांक 28 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 295(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 73 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चेन्नई पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (बोर्ड की बैठक और कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.सीएचपीए/आरआरसी/001/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मुम्बई पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (बोर्ड की बैठक और कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2024, जो दिनांक 07 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.जीएडी/जी/आरईजी/502 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (बोर्ड की बैठक और कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एसएमपीके/01/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2024/01 जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आयोजना बोर्ड बैठक के संचालन के लिए विनियम तथा आयोजना बोर्ड की सदस्यता, गठन/गणपूर्ति और पदावधि के बारे में संविधि 16(1)(ट) को संशोधित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2024-2025 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.04 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 18वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

6. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग की शासी परिषद के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख)27 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

7. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री संजय सेठ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) और उप-धारा (1क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1 सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में खेल परिसर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2 श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के नरसिंहपुर जिले में स्टॉप डैम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3 श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के मिथिला क्षेत्र में ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों की संरक्षा और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4 श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू और कश्मीर में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में।

5 श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में स्कूल में विषाक्त भोजन करने की घटना और सहारा समूह में निवेशकों के पैसों के नुकसान के बारे में।

6 श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा पूर्व संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एम्स, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में।

7 श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू में रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता के बारे में।

8 श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड में मानव-वन्य पशु संघर्ष के बारे में।

9 श्री धर्मबीर सिंह द्वारा अहीर रेजिमेंट की स्थापना के बारे में।

10 श्री खगेन मुर्मु द्वारा जीके सीआईईटी और यूजी/आईटीआई स्तर के पाठ्यक्रमों में रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम शामिल करने के बारे में।

11 डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में एससी/एसटी आबादी के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में।

12 श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए केंद्रीय योजना के अंतर्गत धन के उपयोग के बारे में।

13 श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक लाइटर पर प्रतिबंध के बारे में।

14 श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा यदादरी भोंगीर जिले में दवा कंपनियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कृषि भूमि पर जैविक अपशिष्टों को फेंकने के बारे में।

15 श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा गंगापुर सिटी स्टेशन पर और अधिक ट्रेनों के ठहराव और सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बंद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने के बारे में।

16 श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की एक शाखा खोलने की आवश्यकता के बारे में।

17 श्री सुनील कुमार द्वारा नवलपुर-रतवाल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण के बारे में।

18 श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा ठाणे रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन घोषित किए जाने के बारे में।

19 श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी द्वारा जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाने के बारे में।

20 एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

9. केंद्रीय बजट -2024-2025 - अनुदानों की मांगें

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 50 मिनट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 46 और 47 पर चर्चा शुरू हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में [#]घोषणा की।

स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित 14 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 2,5 से 14,44 और 42 से 43) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री तारिक अनवर
2. डॉ. संजय जायसवाल

[#] मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. श्री लालजी वर्मा
4. * डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन
5. * सुश्री एस. जोतिमणि
6. * सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
7. * श्री राम शिरोमणि वर्मा
8. * डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण
9. * श्री इमरान मसूद
10. * डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
11. डॉ. शर्मिला सरकार
12. * श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश
13. डॉ. रानी श्रीकुमार
14. * कैप्टन बृजेश चौटा
15. *प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
16. * श्री रुद्र नारायण पाणी
17. श्री बस्तीपति नागराजू
18. श्री रामप्रीत मंडल
19. * श्री उज्ज्वल रमण सिंह
20. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे
21. * श्री डी. एम. कथीर आनंद
22. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे
23. * एडवोकेट डीन कुरियाकोस
24. श्री नरेश गणपत म्हस्के
25. श्रीमती वीणा देवी
26. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
27. श्री मियां अल्ताफ अहमद
28. * श्री पी. पी. चौधरी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

29. * श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
30. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
31. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी
32. * डॉ. आलोक कुमार सुमन
33. * श्री सुनील कुमार
34. * श्रीमती सुप्रिया सुले
35. श्री राजीव राय
36. श्री डग्गुमल्ला प्रसाद
37. सारंगी, श्रीमती अपराजिता
38. * श्री राजू बिष्ट
39. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश
40. श्री राजा राम सिंह
41. * श्री अरुण कुमार सागर
42. श्री के. नवासखनी
43. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ
44. डॉ. कडियम काव्य
45. * श्रीमती मालविका देवी
46. श्री सुधाकर सिंह
47. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
48. डॉ. हेमांग जोशी
49. श्री गुरजीत सिंह औजला
50. श्री मलविंदर सिंह कंग
51. * कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
52. * डॉ. मोहम्मद जावेद
53. श्री दिलेश्वर कामैत
54. * श्री बिद्युत बरन महतो
55. डॉ. लता वानखेड़े
56. * श्री दिलीप शइकीया

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

57. * श्री राव राजेन्द्र सिंह
58. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
59. श्रीमती रुचि वीरा
60. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
61. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे
62. श्री विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील
63. * सुश्री इकरा चौधरी
64. श्री मुकेश राजपूत
65. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
66. * श्री कृपानाथ मल्लाह
67. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर
68. श्री विष्णु दत्त शर्मा
69. श्री सुनील बोस
70. श्री मनोज तिवारी
71. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
72. श्री हनुमान बेनीवाल
73. एडवोकेट चन्द्र शेखर
74. श्री कुलदीप इंदौरा
75. श्री बलभद्र माझी
76. श्री शेर सिंह घुबाया
77. श्री नीरज मौर्य
78. श्री शंकर लालवानी
79. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम
80. श्री नारायणदास अहिरवार
81. श्री बिष्णु पद राय,
82. निषाद, श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद
83. डॉ. राजेश मिश्रा
84. श्री असादुद्दीन ओवैसी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

85. श्री सतीश कुमार गौतम

86. * श्री उम्मेदा राम बेनीवाल

87. * श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

88. * डॉ. के. सुधाकर

89. * श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

90. * श्री श्रेयस एम. पटेल

91. * श्री राहुल कस्वां

92. * श्री जगदम्बिका पाल

93. * श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

[$]**सायं 7.01 बजे**

(लोक सभा सोमवार, 5 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[*] लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

[$] अपराह्न 5.58 से सायं 7.01 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

———

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

——

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/ 14 श्रावण, 1946 (शक)

———

संख्या 18

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 186 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 187 से 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना, बिहार के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना, बिहार के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1) (एक) हरियाणा राज्य के लिए समग्र शिक्षा, पंचकुला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा राज्य के लिए समग्र शिक्षा, पंचकुला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पंजाब राज्य के लिए समग्र शिक्षा, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब राज्य के लिए समग्र शिक्षा, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) केरल राज्य के लिए समग्र शिक्षा, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल राज्य के लिए समग्र शिक्षा, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) मध्य प्रदेश राज्य के लिए समग्र शिक्षा अभियान, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य के लिए समग्र शिक्षा अभियान, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) ओडिशा राज्य के लिए समग्र शिक्षा, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओडिशा राज्य के लिए समग्र शिक्षा, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) गोवा समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गोवा समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान बाजार उधारी के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) बैंककारी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उप-धारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा

लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) केनरा बैंक के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) इंडियन बैंक के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूको बैंक के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2023-24 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(10) वर्ष 2023-24 के लिए उपर्युक्त (9) में उल्लिखित बैंकों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंत में बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(13) (एक) दिनांक 23 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 51/2024, जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के लिए निर्धारण) नियम, 1995 को नवीन शिपर्स रिव्यू प्रदान करने के लिए संशोधित करना है।

(दो) सा.का.नि. 427(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) अनुशंसा के अनुसरण में, 5

वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित बस और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक नॉमिनल रिम व्यास वाले ''ट्यूब या ट्यूब के बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर और/या रबड़ के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) के उसमें उल्लिखित मदों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 432(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात हेतु दिनांक 13 जून, 1994 की अधिसूचना सं. 154/94-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 433(अ) जो दिनांक 23 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बीसीडी संबंधित परिवर्तनों को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 434(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-यूएई सीईपीए के अंतर्गत दरों को संशोधित करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 22/2022-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 435(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वस्तुओं पर लागू एआईडीसी को संशोधित करने के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.436(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट योजनाओं के अंतर्गत आयातित सोना, चांदी और प्लेटिनम के लिए छूट दर प्रदान करने के लिए दिनांक 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 57/2000-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.437(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 23 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 25/1999-सीशु, 25/2002-सीशु और 57/2017-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.438(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2024 की अधिसूचना सं. 8/2020-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.439(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी और एसडब्ल्यूएस की छूट/रियायत दर का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.440(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चे चर्म, त्वचा और चर्म की विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर निर्यात शुल्क हेतु दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.441(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 32 अधिसूचनाओं को उनकी वैधता और अधिक अवधि तक विस्तारित करने के लिए संशोधित करना है तथा कतिपय विदेशी मूल वस्तुओं को, जब वे रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए आयातित किए जाए, के पुन:निर्यात की समयावधि बढ़ाने के लिए अधिसूचना सं. 153/94-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.442(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुन:आयात की समयावधि बढ़ाने के लिए दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सीशु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना सं. 46/2024-सीशु (एन.टी.) जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) दिनांक 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 49/2024-सीशु (एन.टी.) जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, कर निर्धारण और संगहण प्रतिकारी शुल्क तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 443(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 27 जून, 2024 का तदर्थ छूट आदेश, 2024 का संख्यांक 04, जिसके द्वारा रिस्टोरिंग विजन, यूएसए द्वारा मैसर्स सुप्रीम टास्क

इंडिया को दान दिए गए पठन योग्य नेत्र ग्लासेस के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत पूर्ण एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की पूरी ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है।

(17) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्नाकूलम, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलौर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 22 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 22 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 22 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 02 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/188 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/189 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता और निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/190 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/191 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/192 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/193 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 18 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/194 में प्रकाशित हुए थे।

(19) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) विदेशी विनिमय प्रबंधन (ओवरसीज इंवेस्टमेंट) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए 400/2022-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी विनिमय प्रबंधन (उधारी और ऋण प्रदायगी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 29 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए 3(आर)/(3)/2022-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी विनिमय प्रबंधन (ऋण लिखत) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.396(1)/2021-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.23(आर)/(5)/2021-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी विनिमय प्रबंधन (उधारी और ऋण प्रदायगी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए 3(आर)/2/2021-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 11 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.23(आर)/(4)/2021-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी विनिमय प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए 6(आर)/(3)/2020-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी विनिमय प्रबंधन (डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए मार्जिन) विनियम, 2020 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.399/आरबी-2020 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी विनिमय प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 18 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए 6(आर)/12/2020-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग तथा भुगतान की रीति) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए 395(1)/2020-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.23(आर)/(3)/2020-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (भुगतान और प्राप्ति की रीति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.14(आर)/(2)/2020-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (विदेशी विनिमय डेरिवेटिव अनुबंध) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.398/आरबी-2020 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 16 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.397/आरबी-2020 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) विदेशी विनिमय प्रबंधन माल और सेवाओं का निर्यात विनियम, 2019 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.23(आर)/(2)/2019-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (भुगतान और प्राप्ति की रीति) (संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.14(आर)/(1)/2019-आरबी

में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) विदेशी विनिमय प्रबंधन (निक्षेप) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.5(आर)/(3)/2019-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.422(अ) जो दिनांक 02 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04.04.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए एल्युमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण तथा बॉक्साइट के खनन में संलग्न उद्योगों की सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(दो) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.678(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17.02.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए लौह और इस्पात उद्योग में संलग्न उद्योगों की सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.688(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19.02.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(चार) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.941(अ) जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19.02.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और एविएशन स्पिरिट, डीजल तेल, केरोसीन तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेल और सिंथेटिक ईंधनों, स्नेहक तेलों सहित उनके मिश्रणों के विनिर्माण या उत्पादन में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.1937(अ) जो दिनांक 07 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 07.05.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए यूरेनियम उद्योग में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(छह) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.1939(अ) जो दिनांक 07 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 09.05.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए खाद्य सामग्री में संलग्न उद्योगों की सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(सात) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.1941(अ) जो दिनांक 07 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 07.05.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए ताम्र खनन उद्योग में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया

गया है।

(आठ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.1943(अ) जो दिनांक 07 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 09.05.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए लेड जिंक खनन उद्योग में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.2230(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28.06.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए परमाणु ईंधन और अवयव, भारी जल और अनुषंगी रसायन तथा आण्विक ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिकी प्रतिष्ठानों में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(दस) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.2248(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24.06.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों की उद्योग में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.2249(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28.06.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए कोयला उद्योग में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.2250(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15.06.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए बैंकिंग उद्योग में संलग्न सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत का.आ.2251(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12.06.2024 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए ईंधन गैसों (कोयला

गैस, प्राकृतिक गैस और इसके समरूप) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में संलग्न उद्योगों की सेवाओं को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किए जाने को अधिसूचित किया गया है।

(6) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अंतर्गत लोक उपयोगिता सेवाएं (पहला आदेश), 2024 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1708(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 08 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.164(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.177(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1909(अ) जो दिनांक 1 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो

तमिलनाडु राज्य में कराइवेट्टी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(दो) का.आ. 1930(अ) जो दिनांक 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में कुंथाकूलम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1929(अ) जो दिनांक 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(चार) का.आ. 1928(अ) जो दिनांक 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में उदयमार्तण्डपुरम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2773(अ) जो दिनांक 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में गंगईकोंडन स्पॉटेड हिरण अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(छह) का.आ. 2794(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में नेल्लई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(सात) का.आ. 3306(अ) जो दिनांक 16 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में वदूवूर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3650(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में मेलासेल्वानूर-कीलासेल्वानूर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3651(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(दस) का.आ. 3974(अ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में श्रीविल्लीपुथूर ग्रीजलेड गिलहरी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 4007(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में कांजीरणकुलम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(बारह) का.आ. 4075(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में वल्लानाडु काला हिरण अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के

बारे में है।

(तेरह) का.आ. 4440(अ) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में सक्काराकोट्टई पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 4498(अ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में मुदुमलई टाइगर रिजर्व अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 4499(अ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में थेरथांगल पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 4500(अ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में वेट्टनगुडी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 08(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 07(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 412(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में कोडईकनाल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(बीस) का.आ. 3236(अ) जो दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 788(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 3596(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

जो तेलंगाना राज्य में पखाल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1432(अ) जो दिनांक 05 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तेलंगाना राज्य में मनजीरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1698(अ) जो दिनांक 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तेलंगाना राज्य में महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1699(अ) जो दिनांक 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तेलंगाना राज्य में पोचरम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2859(अ) जो दिनांक 01 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तेलंगाना राज्य में किन्नेरासानी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(सताईस) का.आ. 1566(अ) जो दिनांक 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो त्रिपुरा राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 4077(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो त्रिपुरा राज्य में तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 4076(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो त्रिपुरा राज्य में गुमटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(तीस) का.आ. 789(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो त्रिपुरा राज्य में सेपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य सहित क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 5136(अ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तराखंड राज्य में नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1927(अ) जो दिनांक 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 4929(अ) जो दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तराखंड राज्य में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(चौतीस) का.आ. 3921(अ) जो दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तराखंड राज्य में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 891(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 3573(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 3709(अ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में समन पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 3775(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 3776(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में सोहागी बारवा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 4773(अ) जो दिनांक 11 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में पटना पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 4890(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 06(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में बखीरा पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 110(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में चन्द्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 1315(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में जय प्रकाश नारायण (सुरहताल) पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2776(अ) जो दिनांक 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में संडी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 3153(अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में शहीद चंद्र शेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 3529(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में समसपुर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 3655(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में विजय सागर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 3649(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(पचास) का.आ. 1876(अ) जो दिनांक 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में नेशनल चंबल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 3878(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में है।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2024 का संख्यांक 2)-(अनुपालन लेखापरीक्षा)- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, संबलपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, संबलपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) भारतीय दर्शनशास्त्रीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दर्शनशास्त्रीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीए/498/2024/एमएसएई (विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट कर्जदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019, जो दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी 050 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट कर्जदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019, जो दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी 051 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, जो दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी 052 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और रीफंड) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भर्ती की रीति) नियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) का.आ. 255(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीए अधिनियम, 1949 की धारा 22क, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण में सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी सचिव अधिनियम, 1949 की धारा 29क के अंतर्गत का.आ. 281(अ) जो दिनांक 17 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी) में परिषद सदस्य की नियुक्ति की गई है।

(6) 1. कंपनी सचिव अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईसीएसआई/01/एल/2024 जो दिनांक 28 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में निदेशक (अनुशासन) की नियुक्ति की गई है।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि अपनी 24 जुलाई 2024 को हुई बैठक में राज्यसभा ने दोनों सभाओं की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा राज्यसभा के निम्नलिखित दस सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की भी सूचना दी:-

1. डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे
2. श्री शुभाशीष खुंटिया
3. श्री बाबूराम निषाद
4. श्री शंभू शरण पटेल
5. सुश्री कविता पाटीदार
6. श्री एस. सेल्वागनबेथी
7. श्री सी.वी.षनमुगम
8. श्री अशोक सिंह
9. डॉ. वी. शिवादासन
10. श्री बीडा मस्थान राव यादव

(दो) कि अपनी 24 जुलाई 2024 को हुई बैठक में राज्यसभा ने दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा राज्यसभा के निम्नलिखित दस सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की भी सूचना दी:-

1. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
2. श्रीमती एस. फान्गनान कोन्याक्

3. श्री मिथलेश कुमार
4. श्री रवंगवरा नारजारी
5. श्रीमती फूलो देवी नेतम
6. श्री कृष्ण लाल पंवार
7. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
8. डॉ. वी. शिवादासन
9. डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू
10. श्री ममता ठाकुर

(तीन) कि अपनी 24 जुलाई 2024 को हुई बैठक में राज्यसभा 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफ़ारिश से सहमत हुई तथा राज्यसभा के निम्नलिखित सात सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की भी सूचना दी:-

1. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण
2. श्री शक्तिसिंह गोहिल
3. डॉ. के. लक्ष्मण
4. श्री प्रफुल्ल पटेल
5. श्री सुखेंदु शेखर रॉय
6. श्री त्रिरुचि शिवा
7. श्री सुधांशु त्रिवेदी

(चार) कि अपनी 24 जुलाई 2024 को हुई बैठक में राज्यसभा 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफ़ारिश से सहमत हुई तथा राज्यसभा के निम्नलिखित सात सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की भी सूचना दी:

1. श्री नीरज डांगी
2. श्री मिलिंद मुरली देवड़ा
3. श्री नारायण दास गुप्ता
4. डॉ. भागवत कराड़

5. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

6. श्री देबाशीष सामंतराय

7. श्री अरूण सिंह

5. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन विधेयक, 2024

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री अनुराग शर्मा द्वारा झांसी और ललितपुर जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों को रानी लक्ष्मी बाई कृषि विश्वविद्यालय, झांसी से संबद्ध किए जाने के बारे में।
2. श्री रुद्र नारायण पाणि द्वारा ओडिशा में मानव-हाथी संघर्ष के बारे में।
3. श्री योगेंद्र चांदोलिया द्वारा मेट्रो नेटवर्क के रिठाला से बवाना तक विस्तार के बारे में।
4. डॉ. जयंत कुमार रॉय द्वारा पश्चिम बंगाल में मानव-पशु संघर्ष के बारे में।
5. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा के मूल निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में।
6. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री मुकेश राजपूत द्वारा अयोध्या तक वंदे भारत रेल के संचालन के बारे में।
8. श्री यदुवीर वाडियार द्वारा मैसूर में विरासत भवनों के संरक्षण के बारे में।
9. श्री विद्युत बरन महतो द्वारा जमशेदपुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।
10. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना के पूरा होने के बारे में।
11. श्री महेश कश्यप द्वारा बस्तर, छत्तीसगढ़ की छवि खराब किए जाने के बारे में।
12. श्री राधाकृष्ण द्वारा रूस से फंसे भारतीयों को वापस लाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा बांदीकुई स्टेशन से मेहंदीपुर बालाजी और महावीरजी तथा केलादेवी तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में।
14. श्री एम के राघवन द्वारा कालीकट में एम्स की स्थापना के बारे में।
15. श्री के सी वेणुगोपाल द्वारा अलपुझा में दो अतिरिक्त प्लेटफार्मों के निर्माण के बारे में।
16. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के रख-रखाव में कथित अनियमितताओं के बारे में।
17. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा स्थानीय निवासियों के पलायन को रोकने के लिए श्रावस्ती और बलराम जिलों में उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में।
18. श्री खलीलुर रहमान द्वारा ईपीएफओ कार्यालय को जंगीपुर में स्थानांतरित किए जाने के बारे में।
19. श्री डी.एम. कथीर आनंद द्वारा एकीकृत माल एवं सेवा कर के साझाकरण पैटर्न के बारे में।
20. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा रेलगाड़ी संख्या 17219 लिंक एक्सप्रेस के मार्ग के विस्तार के बारे

में।

21. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा गोपालगंज से गुजरने वाले एनएच-27 की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री संजय दीना पाटिल द्वारा मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल को एम्स के मानकों के अनुरूप उन्नत किए जाने के बारे में।

23. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में।

24. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति द्वारा तिरुपति में इंटर मॉडल बस स्टेशन के निर्माण के बारे में।

25. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में।

अपराह्न 12.09 बजे

9. केंद्रीय बजट -2024-2025 - अनुदानों की मांगें

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 6 घंटे 43 मिनट

वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 46 और 47 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
2. श्री खगेन मुर्मू
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री पटेल उमेशभाई बाबूभाई
5. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
6. डॉ. डी. रवि कुमार
7. श्री के.ई. प्रकाश

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

मांग संख्या 46 और 47 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) जिनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है, के संबंध में वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की मांगें - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अपराह्न 1.02 बजे

10. केंद्रीय बजट-2024-2025 - अनुदानों की मांगें

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 56 मिनट

वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 43 और 44 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में #घोषणा की।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित 14 कटौती प्रस्ताव (संख्या 13 से 15, 16, 19 से 23, 24 से 31, 37 से 41 और 38) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. सुश्री सयानी घोष
2. श्री दुष्यंत सिंह
3. श्री बैन्नी बेहनन
4. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल
5. श्री थंगा तमिलसेल्वन
6. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
8. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके
9. श्री अरविंद गणपत सावंत
10. श्री भुमरे संदिपनराव आसाराम
11. *श्री मोहम्मद जावेद
12. *सुश्री प्रणिति सुशील कुमार शिंदे
13. *सुश्री एस. जोतिमणि
14. *श्रीमती सुप्रिया सुले
15. *सुश्री इकरा चौधरी
16. *डॉ टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

17. *श्री नवासखनी के.
18. *डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
19. *डॉ. मन्ना लाल रावत
20. *श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर
21. *श्री पुष्पेंद्र सरोज
22. *श्री दिलेश्वर कामैत
23. *श्री जी. सेल्वम
24. *डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश
25. *प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
26. *श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
27. *श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश
28. *श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
29. *श्री गुरजीत सिंह औजला
30. *डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
31. *श्री पी.पी.चौधरी
32. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस
33. *एडवोकेट गोवाल कागाडा पडवी
34. *डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम
35. श्री रोडमल नागर
36. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
37. श्री राजेश वर्मा
38. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
39. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
40. श्री मितेश पटेल बकाभाई
41. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले
42. श्री अमरा राम
43. श्री अभय कुमार सिन्हा
44. श्री जनार्दन मिश्रा
45. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत
46. *श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर
47. *श्री सी. एन. अन्नादुरई

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

48. *श्री दिलीप शइकीया
49. *श्री कैप्टन बृजेश चौटा
50. *श्री अरुण कुमार सागर
51. *श्री नारायणदास अहिरवार
52. *श्री राहुल कस्वां
53. *श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
54. *श्रीमती शांभवी
55. *श्रीमती मालविका देवी
56. *श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी
57. *श्री जयन्त बसुमतारी
58. *डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
59. *श्री उमेषभाई पटेल बाबूभाई
60. *श्री गजेन्द्र सिंह पटेल
61. *श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
62. *श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
63. *श्री ससिकांत सेंथिल
64. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
65. *श्री असादुद्दीन ओवैसी
66. *डॉ. राजेश मिश्रा
67. *श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
68. *श्री नरेश गणपत म्हस्के
69. *श्री हनुमान बेनीवाल
70. *डॉ. श्रीकांत शिंदे
71. *श्री अरुण भारती
72. *श्री जगदम्बिका पाल
73. *श्री बिभु प्रसाद तराई
74. श्री राम प्रसाद चौधरी
75. श्री आगा सैय्यद रुहुल्लाह मेहदी
76. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
77. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
78. डॉ. राजकुमार सांगवान

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

79. श्री डी. रवि कुमार
80. श्री राजा राम सिंह
81. श्री के. गोपीनाथ
82. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही
83. कॉमरेड सेल्वाराज वी.
84. श्री ईश्वरस्वामी के.
85. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
86. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी
87. श्रीमती गेनीबेन नागाजी ठाकोर
88. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद
89. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

मांग संख्या 43 और 44 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) जिनके लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जिम्मेदार है, के संबंध में वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की मांगें - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अपराह्न 5.58 बजे

11. केन्द्रीय बजट - 2024-2025 - अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषणा की कि वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों पर परिचालित किए गए सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए माने जाएंगे।

सभी कटौती प्रस्ताव, जो पेश किए माने गए, अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की मांगें - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए सभा के मतदान हेतु रखी गईं तथा वे पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2;

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3;

(3) आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4;

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7;

(5) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8;

(6) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;

(7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11;

(8) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;

(9) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;

(10) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16;

(11) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17;

(12) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18;

(13) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22;

(14) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;

(15) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24;

(16) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27;

(17) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;

(18) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29;

(19) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42;

(20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45;

(21) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48;

(22) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59;

(23) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;

(24) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;

(25) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63;

(26) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;

(27) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66;

(28) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68;

(29) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;

(30) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;

(31) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;

(32) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;

(33) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;

(34) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;

(35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;

(36) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77;

(37) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78;

(38) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;

(39) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 81;

(40) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 82;

(41) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83;

(42) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86;

(43) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88;

(44) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91;

(45) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92;

(46) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94;

(47) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 95;

(48) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96;

(49) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97;

(50) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;

(51) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99;

(52) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100;

(53) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101; और

(54) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102.

सायं 6.09 बजे

12. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

13. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.12 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 6 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

———

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

——

मंगलवार, 6 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक)

———

संख्या 19

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 79वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण जापान में हुए परमाणु नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 204 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2006 की धारा 16, 17 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेसिन उपचारित संपीड़ित काष्ठ लेमिनेट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1018(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पेयजल बोतल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1071(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) घरेलू उपयोग के लिए विद्युतरोधित फ्लास्क, बोतल और जार (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1072(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) काष्ठ आधारित बोर्ड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1307(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) प्लाईवुड और काष्ठ फ्लश डोर शटर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1377(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) वायु शीतलक और वायु निस्यंदक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1114(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) विद्युत उपकरण पंखे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1124(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) त्वचा और केश देखभाल के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1125(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) घरेलू वस्त्र प्रक्षालन के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1126(अ) में

प्रकाशित हुआ था।

(दस) रसोई के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1128(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) जल मीटर और सहायक उपस्कर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1142(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) घरेलू जल उष्मन के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1253(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) भोजन और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और जार (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चौदह) एल्युमिनियम और एल्युमिनियम अयस्क उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1512(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पंद्रह) ताम्र उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1801(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) टेलीस्कोपिक बॉल बियरिंग ड्राअर स्लाइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 08 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1962(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सत्रह) स्व-धारित पेयजल शीतलक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 28 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2112(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(अठारह) बोतलबंद जल डिस्पेंसर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 4 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2173(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(उन्नीस) प्रिसीशन रोलर और बुश चेन्स, अटैचमेंट्स और एसोसिएटेड चेन्स स्प्रोकेट्सर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 4 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2174(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बीस) कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2287(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(इक्कीस) स्टील वायर्स या स्ट्रेंड्स, नायलॉन या वायर रोप्स और वायर मेश (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2581(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बाईस) सेफ्स, सेफ डिपोजिट लॉकर केबिनेट्स और की लॉक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5293(अ)

में प्रकाशित हुआ था।

(तेईस) हिन्ज्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5294(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चौबीस) एयर कंडिशनर और इसके संबंधित पुर्जे, हरमेटिक कंप्रेसर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 2 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 32(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पच्चीस) प्रयोगशाला ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 3 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 44(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छब्बीस) विद्युत सहायक उपस्कर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 3 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 43(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सत्ताईस) जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1153(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 17 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. का.आ. 2007(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(अठाईस) एस्बेस्टस ऑफ फाइबर सीमेंट आधारित उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1152(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(उनतीस) वी-बेल्ट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1252(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम पहला अध्यादेश, 2024, जो दिनांक 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एनआईडीजे/2024-25/सीनेट में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश अध्यादेश, 2024, जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीनेट -20/07/2023 में प्रकाशित हुआ था।

(4) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जून, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 312(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2754(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो आईटीसी(एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10 अनुसूची-2, क्रम सं. 55 और 57 की नीति स्थिति में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2644(अ) जो दिनांक 5 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी(एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(6) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2024 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2016-2017, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2016-2017, 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022

के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) (एक) हरियाणा स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत घी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1785(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 795(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 1202(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स

इफको द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है,

(तीन) का.आ. 1366(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए, उसमें उल्लिखित किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को किसानों को प्रत्यक्ष रूप से थोक बिक्री के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का.आ. 1718(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स इफको द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया (तरल) 16 के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 1782(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए, उसमें उल्लिखित अनुकूलित उर्वरकों के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1783(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 1784(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) (दूसरा) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 8 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1781(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) (तीसरा) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 8 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1963(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) का.आ. 1786(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो जिंक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1787(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो कॉपर (तरल)

उर्वरक के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, आशुलिपिक ग्रेड 1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, बहुकार्य स्टाफ, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, रेडियो मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 48 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, इलेक्ट्रीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 29 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 86 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, अग्रणी अग्निसेवक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 29 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 87 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 29 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 88 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, न्यायाधीश महान्यायवादी (उप महानिरीक्षक) और उप न्यायाधीश महान्यायवादी (उप समादेष्टा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 20 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, युद्धक मंत्रालयी और युद्धक आशुलिपिक संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 26 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 136(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य कर्तव्य संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 22 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (राजभाषा) और सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 26 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, शिक्षा और तनाव परामर्शी संवर्ग, निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शी) और उप-निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 319(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (आशुलिपिक-सह-निजी सचिव), सूबेदार (आशुलिपिक-सह-वैयक्तिक सहायक) और नायब सूबेदार (आशुलिपिक-सह-वैयक्तिक सहायक), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 22 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 79 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 172 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1231(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में अधिकार प्राप्त समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के निदेशक (जनगणना प्रचालन) द्वारा की जाएगी तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह) ने मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित 'मत्स्यपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन की संभावना' विषय पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल) ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3)[#] विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

[*]अपराह्न 1.20 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

---

[#] अपराह्न 3.44 बजे दिया।

[*] अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

1) डॉ. के. सुधाकर द्वारा सूखे से प्रभावित कर्नाटक के किसानों को राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों पर लगाए जाने वाले जीएसटी की संरचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेल संबंधी मुद्दों के बारे में।

4) श्रीमती कमलजीत सहरावत द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में साहिबी नदी के किनारे शिवाजी मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाने की आवश्यकता।

5) डॉ. हेमंत विष्णु सवारा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में विमानपत्तन की स्थापना के बारे में।

6) श्री दिलीप शइकीया द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री शंकर लालवानी द्वारा इंदौर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा आणंद (गुजरात) और हरिद्वार (उत्तराखंड) के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा राजस्थान के जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा हीराकुंड बांध के जलाशय में महानदी नदी में पानी का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री अभिमन्यु सेठी द्वारा ओडिशा के भद्रक में बांग्लादेशियों के अवैध आप्रवासन को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) डॉ. लता वानखेड़े द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ढाना हवाई पट्टी के विकास के बारे में के बारे में।

13) श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अस्का चीनी कारखाने के नवीकरण के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में बीएडीपी, बीआरजीपी और वीवीपी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में।

15) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान में बिजली की स्थिति के बारे में।

16) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले के एझुकोन में आयुर्वेद विभाग में अंतः रोगी और बाह्य रोगी विभाग सुविधाओं के साथ ईएसआईसी अस्पताल के विस्तार की आवश्यकता के बारे में।

17) सुश्री प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) की स्थापना के लिए अनुमोदन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री आदित्य यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आउटर रिंग रोड के निर्माण के बारे में।

20) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों और सोसाइटियों द्वारा ठगे गए लोगों को धन की वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री आजाद कीर्ति झा द्वारा पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर औद्योगिक केन्द्र की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) श्री मुरसोली एस. द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के अंतर्गत रोजगार के दौरान मरने वाले श्रमिकों के लिए मुआवजे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा सरकार की शिक्षा नीतियों का विभिन्न सांविधिक निकायों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा भारतीय बच्ची की जर्मनी से वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता, जिसे बाल संरक्षण सेवाओं द्वारा उसके माता-पिता से ले लिया गया था, के बारे में।।

25) श्रीमती शाम्भवी द्वारा खगड़िया-कुशेश्वर अस्थान रेलवे लाइन के लिए धनराशि आवंटित किए जाने और परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26) श्री नवासखनी के. द्वारा रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और एटीएम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27) श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा असम के कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं में सुधार की आवश्यकता के बारे में।

28) श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सांगली में क्षेत्र के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुष्क पत्तन के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.20 बजे

7. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

आबंटित समय: 10 घंटे
लिया गया समय: 5 घंटे 36 मिनट
शेष: 4 घंटे 24 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. अमर सिंह
2. डॉ. निशिकान्त दुबे
3. श्री नीरज मौर्य
4. सुश्री महुआ मोइत्रा
5. श्री अरुण नेहरू
6. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
7. श्री रामप्रीत मंडल
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
10. श्री बसवराज बोम्मई
11. श्री अभय कुमार सिन्हा
12. श्रीमती शांभवी
13. श्री रमाशंकर राजभर
14. सुश्री एस. जोतिमणि
15. श्री अनिल यशवंत देसाई
16. श्री पी. पी. चौधरी

17. श्री के. ई. प्रकाश

18. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी

19. श्री आर. सचिदानन्दम

20. श्री तनुज पुनिया

21. डॉ. डी. रवि कुमार

22. श्री सुदामा प्रसाद

23. श्री नवासखनी के.

24. श्री राव राजेन्द्र सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.01 बजे

(लोक सभा बुधवार, 7 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

–

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

—

बुधवार, 7 अगस्त, 2024/ 16 श्रावण, 1946 (शक)

———

संख्या 20

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 226 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 227 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2780 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता

आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.203(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी -

सोलहवीं लोक सभा

(1)	विवरण सं. 33	चौथा सत्र, 2015

सत्रहवीं लोक सभा

(2)	विवरण सं. 23	पहला सत्र, 2019
(3)	विवरण सं. 17	तीसरा सत्र, 2020
(4)	विवरण सं. 18	पांचवां सत्र, 2021
(5)	विवरण सं. 11	आठवां सत्र, 2022
(6)	विवरण सं. 8	नौवां सत्र, 2022
(7)	विवरण सं. 6	दसवां सत्र, 2022
(8)	विवरण सं. 6	ग्यारहवां सत्र, 2023
(9)	विवरण सं. 3	बारहवां सत्र, 2023
(10)	विवरण सं. 3	चौदहवां सत्र, 2023
(11)	विवरण सं. 2	पंद्रहवां सत्र, 2024

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक- समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो- समर्पित विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे (भाग दो- समर्पित विनियोग लेखे - अनुबंध - छ)।

(चार) वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार - वित्त लेखे (भाग एक और दो)।

(पांच) वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार - विनियोग लेखे (खंड एक और दो)।

(छह) वर्ष 2022-2023 के लिए संघ सरकार - विनियोग लेखे (डाक सेवाएं)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2024 का संख्यांक 5) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन संबंधी (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के बारे में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा - (2024 का संख्यांक 3)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) अनुज्ञप्तिकरण आवश्यकताओं को हटाना, भंडार सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर संचलन प्रतिबंध (दूसरा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2718(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अनुज्ञप्तिकरण आवश्यकताओं को हटाना, भंडार सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर संचलन प्रतिबंध (पहला संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2403(अ) में प्रकाशित हुआ था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन (संशोधन) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 364(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चलचित्र (शास्ति का न्यायनिर्णयन) नियम, 2024 जो दिनांक 7 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत रेल सेवक (अनुशासन और अभ्यावेदन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 409(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2023 का

संख्यांक 20) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण प्रबंधन और संचलन' संबंधी प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) की ओर से विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत हज समिति (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 369(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) की ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित ''नागरिक डाटा सुरक्षा और निजता'' विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन**)** ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)' विषय पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4)[%] श्रम और रोजगार मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग के तहत भारतीय पहलवान विनेश फोगट को अयोग्य ठहराए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

[%] अपराह्न 3.23 बजे दिया।

***अपराह्न 12.53 बजे**

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी जिले में सुनाबेड़ा को टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) डॉ. भोला सिंह द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशानिर्देश 2024-2025 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिमी बंगाल के मालदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हवाई अड्डे की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री विजय कुमार दुबे द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उच्च और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के मौगंज जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) डॉ. संबित पात्रा द्वारा ओडिशा के पुरी में पिपली के पारंपरिक एप्पलीक वर्क (चंदुआ) का पुनरुद्धार करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) डॉ. संजय जायसवाल द्वारा बिहार में फसलों को नीलगाय द्वारा नुकसान पहुँचाने से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा में पूर्वी तट पर गंजाम से बालासोर तक समुद्री दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जौनापुर-माड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली मास्टर प्लान सड़क को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री रोडमल नागर द्वारा राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित

---

* अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.53 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लालोंग ब्लॉक के अंतर्गत गांव में बिजली कनेक्शन विस्तारण की आवश्यकता के बारे में।

13) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के बालंगीर में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संडीला रेलवे स्टेशन के निकट आरओबी के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा एयरपोर्ट फ़नल ज़ोन के अंतर्गत आने वाली पुनर्विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए फ़नल ऊंचाई नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्री शेर सिंह घुबाया द्वारा पंजाब में आवारा कुत्तों के खतरे के बारे में।

17) श्री शफी परम्बिल द्वारा भूस्खलन से प्रभावित केरल के वडकरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विलंगड क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य के घंटों में संशोधन के साथ-साथ एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रोजगार दिवसों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा भोंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 और 163 पर पैदल पार पथ और अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री दरोगा प्रसाद सरोज द्वारा लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की स्थिति और मनरेगा के तहत मजदूरों को समयबद्ध तरीके से मजदूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में।

21) श्री राजीव राय द्वारा मऊ जिले के दोहरीघाट से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक इंटरसिटी ट्रेन चलाने और मऊ से मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के लिए ट्रेनें चलाने और मऊ-दिल्ली रेल सेवा के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) प्रो. सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स और बंगाल इम्युनिटी के लिए आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिमी बंगाल में दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन पीडब्ल्यूडी रोड से ध्रुबचंद हलदर कॉलेज तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की

आवश्यकता के बारे में।

24) श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा थूथूक्कुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों, जिनसे पर्ल सिटी एक्सप्रेस गुजरती है, के प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा रेलगाड़ी संख्या 13151/52 का परैया रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान किए जाने और रेलगाड़ी संख्या 12836 को बिहार के गया तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

26) डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27) श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़, सीकर और नागौर के किसानों के फसल बीमा दावों का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.54 बजे

6. सरकारी विधेयक - पारित

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024.

आबंटित समय: 10 घंटे

लिया गया समय: 10 घंटे 59 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्री मुहम्मद हमदुल्लाह सईद
3. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर
4. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल
5. श्री के. सुब्बारायण
6. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
7. श्री कल्याण बनर्जी

8. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
9. कुमारी सुधा आर.
10. श्री राजीव प्रताप रूडी
11. श्री राम शिरोमणि वर्मा
12. डॉ. आलोक कुमार सुमन
13. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
14. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
15. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव
16. श्री असादुद्दीन ओवैसी
17. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
18. श्री शफी परम्बिल
19. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
20. श्री हनुमान बेनीवाल
21. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
22. एडवोकेट चन्द्र शेखर
23. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
24. श्री आनंद भदौरिया
25. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
खण्ड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
खण्ड 5 से 23 स्वीकृत हुए।
खण्ड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
खण्ड 25 से 28 स्वीकृत हुए।
खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 30 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
खण्ड 31 और 32 स्वीकृत हुए।
खंड 33 स्वीकृत हुआ।
खंड 34 स्वीकृत हुआ।
खंड 35 स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 36 से 43 स्वीकृत हुए।

खण्ड 44, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 46 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 48 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 49, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 50, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 51, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 52 से 90 स्वीकृत हुए।

खण्ड 91, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 92 से 105 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 33 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 105क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 105क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 106, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 35 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 106क, 106ख और 106ग के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 106क, 106ख और 106ग भी स्वीकृत हुए।

खण्ड 107 से 154 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 36 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 154क, 154ख और 154ग के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 154क, 154ख और 154ग भी स्वीकृत हुए।

खण्ड 155 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 155क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 155क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 156 और 157 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 158, 159 और 160 के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 158, 159 और 160 भी स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.26 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

–

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

___

गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/ 17 श्रावण, 1946 (शक)

_____

संख्या 21

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 246 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 247 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2784(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.1897(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2785(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 2794(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.2528(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेलवे) (2024 का संख्यांक 4) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(2) वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 1) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

(3) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 7) (अप्रत्यक्ष कर - माल और सेवा कर) राजस्व विभाग।

(4) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2024 का संख्यांक 6) रेल प्रचालनों में ऊर्जा प्रबंधन और भारतीय रेल में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों संबंधी-कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा।

(5) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2024 का संख्यांक 8) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड स्टाफ भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 249(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 588(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-160 के अहमदनगर कायनेटिक चौक से वसुंदे फाटा खंड की 2एलपीएस/4 लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 589(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-548सी के डिजाइन से मंथा तालुका सीमा से पार्तुर खंड की 2एलपीएस/4 लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 590(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-161ए के डिजाइन से मंगरूलपीर-माहान खंड की दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 591(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-753एल के बोधवाड-मुक्ताईनगर-बरहानपुर खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 592(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-119) के डिजाइन से मेरठ-नजीबाबाद खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 593(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-131जी के डिजाइन से कन्हौली-रामनगर खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 672(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-965 के अलांदी पाल्खी मार्ग खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 673(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-347बीजी और 753एल के डिजाइन से धनगांव से बोरेगांव खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 1015(अ) जो दिनांक 4 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग-333बी (मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के साथ जंक्शन से शुरू होने वाले और खगडिया में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले राजमार्ग) के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के खंड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 1062(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-753एफ के डिजाइन से मानगांव-म्हलसा-दीघी पोर्ट खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1063(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग-98 के डिजाइन से हरिहरगंज- परवा मोरे खंड के निकट की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 1168(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-334) के डिजाइन से मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड परियोजना के लिए का.आ. 280(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2021 में उल्लिखित प्रयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1170(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के डिजाइन से चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 1312(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्यों में नये राष्ट्रीय राजमार्ग-54 के मंडी डाबवली से चौटाला खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1314(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-58ई के डिजाइन से कुंडाल से झाडोल खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 1315(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-361 के डिजाइन चेनेज से लोहा से वारंगा खंड के चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1316(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-327ई के डिजाइन से गलगलिया से बहादुरगंज खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 1332(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-753ए के ताकरखेड भागिले-जालना खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 1380(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के कोटा बायपास की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 1381(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के डिजाइन से रांची-जमशेदपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 1500(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के ललितपुर-सागर-लाखनडॉन की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 1501(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के ग्वालियर-झांसी खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 1502(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के बिंझाबहल-तेलेईबनी खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1503(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-49 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-6) के चिचरा-खड़गपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 1504(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 की दिल्ली-हापुड़ चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 1505(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर निजामुद्दीन पुल के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की 6/8 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 1536(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के रीवा-कटनी-जबलपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1537(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के लखनाडॉन-खवासा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ. 1539(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के कलझार-पट्टाचारकुची की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ. 1568(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के इलाहाबाद बायपास खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ. 1569(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के कछुगांव-राखलडुबी बस जंक्शन खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के राखलडुबी बस जंक्शन-कालीझर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ. 1570(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के रीवा-कटनी खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ. 1571(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के जबलपुर-लखनाडॉन खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौंतीस) का.आ. 1572(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-25 के ओरई-बारा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 1575(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के चित्रदुर्ग-हुबली खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ. 1576(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-7) के कटनी-जबलपुर-लखनाडॉन खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ. 1584(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के शामलाजी-मोटाचिलोडा-नानाचिलोडा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ. 2198(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राजमार्ग - 135 बीजी को राजमार्ग-39 से क्रॉस रोड के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-135बीजी से तथा लूप-1, रैम्प-1, रैम्प-2 को राष्ट्रीय राजमार्ग-135बीजी से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 से जोड़ने के लिए सतना-मैहर खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ. 2199(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-561ए के अहमदनगर-घोगरगांव-अहमदनगर/सोलापुर जिला सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ. 2200(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-48) के जयपुर-किशनगढ़ खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ. 2201(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-59) के इंदौर-गुजरात/म.प्र. सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ. 2202(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में बीओटी पथकर आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-59 के इंदौर-गुजरात/म.प्र. सीमा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 2203(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई के तालाजा-महुवा-कागावाडर खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 2204(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-206 और नया राष्ट्रीय

राजमार्ग-69 के बिरूर से शिवमोगा खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतालीस) का.आ. 2211(अ) जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-752जी के चांदवाड से मनमाड खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 2212(अ) जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 विस्तार के केन नदी के पास अमानगंज से पवई बायपास के आरंभ तक के खंड की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ. 2233(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में डेरगांव कस्बा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (पुराना) के नुमालीगढ़ से जोरहाट खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ. 2234(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-51 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई) के उना-कोडिनार खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनचास) का.आ. 2239(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 विस्तार के गुलगंज से कटनी रोड खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ. 2253(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-78) के उमरिया-शहडोल खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ. 2254(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के बरही-कोडरमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बावन) का.आ. 2371(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-227 (राष्ट्रीय राजमार्ग-81) के मीनसुरूत्ती से चिदम्बरम खंड की 2 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तिरपन) का.आ. 2372(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28ए के पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौवन) का.आ. 2489(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-565 के नागार्जुन सागर बांध से डावुलापल्ली खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पचपन) का.आ. 2582(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-150 के याडगिर बायपास से आंध्र सीमा खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छप्पन) का.आ. 2583(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-516ई के बोवडारा-विजयानगरम खंड की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्तावन) का.आ. 2792(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-89 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-58) के अजमेर-नागौर खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.886(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.899(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केंद्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.27(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियन और दायित्व) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.32(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.38(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.141(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

(छह) केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.159(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.163(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.174(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 1306(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 1989 की अधिसूचना सं. का.आ.444(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.195(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) केंद्रीय मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.212(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) केंद्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.354(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.407(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री किरेन रिजिजू की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि एपीडा नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

6. तंबाकू बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन तंबाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

7. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए लोक सभा के छह सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 के उप-खंड (चौबीस) और खंड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष

निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

8. राजभाषा समिति के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द राय ने श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री मनोज तिवारी, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, *के स्थान पर* राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

***अपराह्न 1.03 बजे**

9. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

श्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे:-

1. श्री के. सी. वेणुगोपाल
2. श्री मोहिब्बुल्लाह
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
5. श्रीमती सुप्रिया सुले
6. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
7. श्री के. राधाकृष्णन
8. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
9. डॉ. थोलकाप्पियन तिरूमावलवन
10. श्री असादुद्दीन ओवैसी
11. श्री इमरान मसूद
12. श्री अखिलेश यादव
13. श्री कल्याण बनर्जी

* अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

14. श्री मियां अल्ताफ अहमद
15. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
16. श्री के. सुब्बारायण
17. श्री गौरव गोगोई

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक पर निवेदन किए:-

1. [$] श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
2. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी
3. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू) ने अनुरोध किया कि पुरःस्थापन के पश्चात् विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त संसदीय समिति को विस्तृत जांच और चर्चा के लिए सौंपा जाए।

इस पर, अध्यक्ष ने टिप्पणी[#] की कि सभी दलों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराह्न 3.12 बजे

(दो) मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024

श्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराह्न 3.22 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

---

[$] पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

[#] अपराह्न 3.19 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

1) श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा असम के बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री आलोक शर्मा द्वारा उद्योगपति को पट्टे पर दी गई भोपाल के भेल की भूमि के पट्टा करार की शर्तों के उल्लंघन किए जाने के बारे में।

3) श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को फिर से स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांध से बाढ़ के कारण आर्थिक नुकसान उठाने वाले लोगों के लिए विशेष पैकेज दिये जाने के बारे में।

5) श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी को विरासत शहर के रूप में स्वीकार करने और हृदय योजना के अधीन इसे शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री रमेश अवस्थी द्वारा कानपुर एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को दो शिफ्ट चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव द्वारा गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लुनावाडा रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में।

8) श्री शशांक मणि द्वारा छोटे जिलों में मंदिरों के विकास और संस्कृत भाषा के प्रचार के बारे में।

9) श्री हरीभाई पटेल द्वारा टाइप-1 डायबिटीज वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री अरविंद धर्मापुरी द्वारा निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और निजामाबाद जाने वाली बंद की गई रेलगाड़ियों को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिला मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के किशनगंज में एम्स जैसे स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा किसानों के जानमाल को वन्य पशुओं के खतरे से बचाने के लिए -साथ वन्यजीव अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे -उपायों के साथ व्यापक में।

14) डॉ. मल्लू रवि द्वारा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा वाघा सीमा के जरिए भारत पाक व्यापार पर-200% शुल्क लगाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) सुश्री इकरा चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अभिघात केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में योजना के "हर घर नल से जल" अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान खुदाई की गई सड़कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) श्री के. ई. प्रकाश द्वारा तमिलनाडु में कावेरी नदी से जलकुंभी को समाप्त करने के साथसाथ - तटबंध निर्माण सहित उक्त नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के डा बीआर अम्बेडकर कोनसीमा जिले में राष्ट्रीय कॅयर प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लौरिया में 'चंपारण संग्रहालय' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, के बीरपुर में एसएसबी कैंप में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।

22) श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच 65 के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन के अंतर्गत बढ़ी हुई (ईपीएफओ) कवरेज का विकल्प लेने वाले पेंशनभोगियों के आवेदनों के अनुमोदन में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री सुदामा प्रसाद द्वारा सहारा कंपनी की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को धन की वापसी के बारे में।

25) श्री सेल्वाराज वी. द्वारा पुडुचेरी में करुवादिकुप्पम गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक यूनिट की स्थापना और विस्तार के लिए अधिगृहीत किया गया है।

अपराह्न 3.22 बजे

11. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024.

आबंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 49 मिनट

श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अदूर प्रकाश
2. श्री राजीव प्रताप रूडी
3. श्री राजीव राय
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री सी. एन. अन्नादुरई
6. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
7. श्री दिलेश्वर कामैत
8. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
9. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे
10. श्री किशोरी लाल
11. श्री गणेश सिंह
12. श्री अभय कुमार सिन्हा
13. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
14. श्री आर. सचिदानन्दम
15. श्री मलविंदर सिंह कंग
16. श्री विजय कुमार दुबे
17. श्री दयानिधि मारन
18. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
19. डॉ. राजकुमार सांगवान
20. श्री रमेश अवस्थी
21. कामरेड वी. सेल्वाराज
22. डॉ. डी. रवि कुमार

23. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
24. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
25. श्री प्रवीन खंडेलवाल
26. श्री हनुमान बेनीवाल
27. एडवोकेट चन्द्र शेखर
28. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
29. कुमारी आर. सुधा
30. श्री प्रवीण पटेल
31. डॉ. मोहम्मद जावेद
32. श्री तापिर गाव
33. श्री जिया उर रहमान
34. श्री अजय भट्ट
35. श्री जगदम्बिका पाल
36. श्री आनंद भदौरिया

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.11 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

–

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

___

शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024/ 18 श्रावण, 1946 (शक)

_____

संख्या 22

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री इकबाल अहमद सरदगी, सदस्य, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा; स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी, सदस्य, आठवीं, नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा; और श्री रमेश राठौड़ सदस्य, पंद्रहवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया और सदस्यों से स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों के प्रति फिर से समर्पित होने का आग्रह किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में तथा राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से पेरिस ओलंपिक, 2024 में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए और श्री नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 271 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 272 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 119(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अंतरर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19 के अंतर्गत अंतरर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.10आर(3)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.395(2)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 06 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.5(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3058(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.456(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत तदर्थ छूट आदेश 2024 का संख्यांक 5 दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसके द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा लाइबहेर हैवी लिफ्ट क्रॉलर क्रेन (मॉडल:एलआर 1350/1, क्रम सं. 074113) की एक इकाई के पुन: आयात हेतु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के निबंधनों के अंतर्गत सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्तपताल, वर्धा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्तपताल, वर्धा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एचएलएल इंफ्राटेक लिमिटेड (एचआईटीईएस), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएलएल इंफ्राटेक लिमिटेड (एचआईटीईएस), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन

पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ठ) (एक) प्रोजेक्ट एंड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट एंड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तेरह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांतनु ठाकुर) ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73(क) के अंतर्गत दीनदयाल पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (बैठकें और कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2023 जो दिनांक 8 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एलडब्ल्यू/जीएन/2790/2024/001 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्यसभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को 30 जुलाई, 2024 को लोक सभा द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्याक 3) विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 5 अगस्त, 2024 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को 7 अगस्त, 2024 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

7*. प्रस्ताव

श्री बैजयंत पांडा ने श्री किरेन रिजिजू की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 8 अगस्त, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मातदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024.

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

श्री मनीष तिवारी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

वित्त मंत्री; और कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

---

* अपराह्न 12.30 बजे।

(दो) ***समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024***

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगी ।

प्रो सौगत राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(तीन) वहन-पत्र विधेयक, 2024

(चार) रेल (संशोधन) विधेयक, 2024

श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

***अपराह्न 1.44 बजे**

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के बारे में।

2) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जयंत में लोगों के विस्थापन के बारे में।

---

* अपराह्न 12.31 बजे से अपराह्न 2.40 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

4) डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री राजू बिष्ट द्वारा लोगों की पैतृक भूमि पर अधिकार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री राजकुमार चाहर द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित आगरा-तांतपुर कोर्ट रोड के शेष भाग के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के जनजातीय लोगों को संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री अनन्त नायक द्वारा ओडिशा के क्योंझर जिले में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्री विजय बघेल द्वारा ओस्टोमी रोगियों को दिव्यांग का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना शहर में सड़क के उपरि पुल के निर्माण और सतना और तमस नदी के संरक्षण के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने और राज्य के मंडी क्षेत्र में योग विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा 'भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर गजरौला में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री मणिक्कम टैगोर बी. द्वारा देश की जनगणना कराने के लिए संशोधित कार्यक्रम के बारे में ।

15) श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस द्वारा गोवा में कानाकोना से पेरनेम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति के बारे में ।

16) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के कासरगोड में एम्स जैसा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री वरुण चौधरी द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि की सीमा को पांच करोड़

रुपये से बढ़ाकर पंद्रह करोड़ रुपये किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेता सराय रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिशारतगंज में समपार संख्या 6 क और 6 ख पर ओवर ब्रिज/अंडरपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री सेल्वागणपति टी. एम. द्वारा तमिलनाडु में अत्तूर और थलाईवासल रेलवे स्टेशनों के मध्य समपार संख्या 128 पर ओवर ब्रिज के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

22) श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा मराठी भाषा को श्रेण्य भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

23) श्री बालाशौरी वल्लभनेनी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जल जीवन मिशन योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

24) एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के बारे में ।

25) श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के पूर्णिया मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने और मखाना उत्पादन उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.40 बजे

10. संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए विधेयक- प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री किरन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए :- *वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024.*

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. श्रीमती अपराजिता सारंगी
5. श्री संजय जायसवाल

6. श्री दिलीप शइकीया
7. श्री अभिजीत गंगोपाध्याय
8. श्रीमती डी.के. अरुणा
9. श्री गौरव गोगोई
10. श्री इमरान मसूद
11. डॉ. मोहम्मद जावेद
12. श्री मोहिब्बुल्लाह
13. श्री कल्याण बनर्जी
14. श्री ए. राजा
15. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
16. श्री दिलेश्वर कामैत
17. श्री अरविंद सावंत
18. श्री म्हात्रे बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ
19. श्री नरेश गणपत म्हस्के
20. श्री अरुण भारती
21. श्री असादुद्दीन ओवैसी

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी,

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

विधेयक को समिति को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पर मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.44 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024.

आबंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 45 मिनट

श्री राममोहन नायडू किंजारापु द्वारा 8 अगस्त, 2024 को पेश किए गए विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 21 स्वीकृत हुए।

खंड 22 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 27 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राममोहन नायडू किंजरापु द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.36 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1) श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियमन) विधेयक, 2024

2) श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 80 का संशोधन, आदि)

3) श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 324 का संशोधन, आदि

4) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य सैन्य

प्रशिक्षण विधेयक, 2024

5) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का आयकर संग्रहण दृश्यात्मक निरूपण विधेयक, 2024

6) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स (विनियमन और मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2024

7) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 3 और अनुसूची दो का संशोधन)

8) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2024

9) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2024

10) श्री के. नवासखनी, संसद सदस्य का पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2024

11) श्री के. नवासखनी, संसद सदस्य का व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा पर प्रतिबंध विधेयक, 2024

12) श्री के. नवासखनी, संसद सदस्य का समुद्रपारीय कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2024

13) सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे, संसद सदस्य का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (इंटर्नशिप के माध्यम से संवर्द्धन) विधेयक, 2024

14) डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2024

15) डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का तमिलनाडु राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024

16) श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

17) श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 58 का संशोधन))

18) श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

19) श्री डी. एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2024

(नई धारा 10क और 10ख का अंतःस्थापन)

20) श्री डी. एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

21) श्री डी. एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य का तमिलनाडु राज्य में प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों हेतु विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024

22) श्री मड्डीला गुरूमूर्ति, संसद सदस्य का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 90क का अंतःस्थापन)

23) श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य का विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2024

24) श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य का राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2024

25) श्री वी. के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का आकाशीय बिजली आपदा पीड़ित (प्रतिकर) विधेयक, 2024

26) श्री वी. के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का केरल उच्च न्यायालय (पलक्कड़ में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2024

27) श्री वी. के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 3क का अंतःस्थापन)

28) श्री राजकुमार चाहर, संसद सदस्य का जैविक कृषि संवर्धन विधेयक, 2024

29) श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024(नई धारा 5क का अंतःस्थापन, आदि)

30) श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024(धारा 2 का संशोधन, आदि)

31) श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य का एयरलाइन यात्री सेवा प्राधिकरण विधेयक, 2024

32) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य का प्ले स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2024

33) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य का अनाथ (सरकारी स्थापनों में पदों का आरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024

34) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य का ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2024

अपराह्न 3.59 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन

श्री सी.एन. अन्नादुरई का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विनियमन और विकास आयोग विधेयक, 2024

श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

डॉ. निशिकांत दुबे ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.08 बजे

14. विदाई उल्लेख

अध्यक्ष ने अठारहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराह्न 4.13 बजे

15. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 4.14 बजे

(लोक सभा अपराह्न 4.14 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव